मध्यप्रदेश शासन

ऊर्जा विभाग

विभागीय प्रशासनिक वार्षिक प्रतिवेदन

2011-12

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2012

अनुक्रमनिका

क्रमांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
	अध्याय – 1	
1	विभागीय संरचना, ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्यरत मंडल एवं कंपनियां	1–2
2	ऊर्जा के क्षेत्र में किये गये विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य	2–3
	अध्याय –2 **भाग–1**	
3	विभागाध्यक्ष कार्यालयों की संरचना एवं क्रियाकलाप	
4	भाग–1–मध्यप्रदेश विद्युत निरीक्षकालय एवं उसकी गतिविधियां / क्रियाकलाप, विद्युत निरीक्षकालय की गतिविधियां एवं आय–व्यय की जानकारी, विभागीय गतिविधियां (सांख्यिकी)	3–4
	भाग–2	
5	म.प्र.राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर	5
	भाग–3	
6	म.प्र.राज्य विद्युत मंडल एवं उसकी उत्तरावर्ती कम्पनियों की प्रमुख गतिविधियां एवं उपलब्धियाँ	
7	कम्पनियों की प्रमुख उपलब्धियाँ	
	(i) म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की प्रमुख उपलब्धियाँ (अ)ताप विद्युत परियोजनायें 1)सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी 2X250 मेगावाट विस्तार इकाई क्रमांक 10 एवं 11 सारणी, जिला बैतुल 2)श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (2X600 मेगावाट) ग्राम–डोंगलिया जिला–खंडवा 3)श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना चरण– II (2X600/2X660 मेगावाट) डोंगलिया, जिला–खंडवा 4) 2X800 मेगावाट बाण सागर ताप विद्युत परियोजना, ग्राम–टिकुराटोला, जिला–शहडोल(म.प्र.) 5) 2X600/2X660 मे.वा. संजय गॉधी ताप विद्युत गृह, बिरसिंहपुर, जिला–उमरिया 6) 2 X 600 मे.वा./2 X 800 मे.वा. चंदिया ताप विद्युत गृह, जिला–कटनी 7) 2. X 800 मेगावाट दादा धूनीवाले थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट गोराड़िया, जिला–खण्डवा (ब) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रदेश में संभाव्यता(जल एवं परमाणु ऊर्जा आधारित) (1)जल आधारित विद्युत परियोजनाओं हेतु संभाव्यता (2)परमाणु ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं हेतु संभाव्यता	5–10

क्रमांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
	(ii) म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की प्रमुख उपलब्धियाँ (1) अति उच्चदाब पारेषण लाइनें एवं उपकेन्द, (2) पारेषण (3) पारेषण लाइनों व उपकेन्द्रों की उपलब्धियाँ (4)ऊर्जा वित्त निगम से प्राप्त/अंतरिम शेष ऋणों का विवरण	10
	(iii)म.प्र. पॉवर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर की प्रमुख उपलब्धियाँ (1) विद्युत उत्पादन में क्षमता वृद्धि (2)दीर्घावधि विद्युत कय अनुबंध एवं परियोजनाओं की प्रगति (3)एन.एच.डी.सी., भोपाल में किये गये दीर्घकालीन विद्युत कय अनुबंध (4)निजी उत्पादकों से किये गये दीर्घावधि विद्युत कय अनुबंधों (5)नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाएं (6)अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट में म.प्र. का आवंटन (7)बाण सागर ताप विद्युत परियोजना केस–2 (8)महेश्वर जल विद्युत परियोजना (10 गुणित 40मेगावाट) (9)राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से किये गये दीर्घकालीन विद्युत कय अनुबंध – (क)सोलापुर एसटीपीएस (2 गुणित 660 मेगावाट) (ख)मौदा एसटीपीएस स्टेज–3 (2 गुणित 660 मेगावाट) (ग)विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज–V (1 x 500 मेगावाट)	11–13
	(iv) वितरण के क्षेत्र में विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रमुख उपलब्धियाँ (1) प्रणाली सुदृढीकरण (2). आदिवासी उप योजना (3). अनुसूचित जाति उप योजना (4). नवीन कृषि पंप योजना (किसान महापंचायत एवं अनुदान योजना) (5). नवीन पंप कनेक्शन अनुदान योजना (6) फीडर विभक्तिकरण योजना– 1.परियोजना का उद्वेश्य 2.परियोजना से लाभ 3.परियोजना का स्वरूप (अ) प्रथम चरण (ब) द्वितीय चरण (स) प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (7) आर–एपीडीआरपी योजना (8) आर–एपीडीआरपी योजना और SCADA	13–21

क्रमांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
	(9) ए.डी.बी (अ) 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों में कपेसीटर लगाने का कार्य (ब) एच.व्ही.डी.एस. का कार्य (स) रिमोट मीटरिन्ग का कार्य ट्रेन्च–V लोन (अ) एच.व्ही.डी.एस. का कार्य (ब) 33/11 के.व्ही उपकेन्द्रों का रिनोवेशन कार्य (10)राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	
	अध्याय–3	
	प्रमुख विद्युत समंक 2010–11	
	प्रपत्र–1 से 8	22–36

विभागीय वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2011–2012

अध्याय – 1

ऊर्जा विभाग

विभाग की संरचना एवं कियाकलाप

विभागीय संरचना :

मध्यप्रदेश शासन : विभाग का नाम	ऊर्जा विभाग
प्रभारी मंत्री	माननीय श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
सचिवालय	
प्रमुख सचिव / सचिव	श्री मोहम्मद सुलेमान
अपर सचिव	श्री एम.के.गुप्ता
उप सचिव	श्री कफ़ील अहमद श्री एस.के. शर्मा श्री मुकुल धारीवाल
अवर सचिव	श्री के.सी. दुबे
विभागाध्यक्ष :	
मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	श्री एस.एस. मुजाल्दे

ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत मंडल एवं कंपनियॉं :

वर्तमान में प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के पुनर्गठन के फलस्वरुप भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गमित विद्युत उत्पादन, पारेषण, ट्रेडिंग एवं तीन वितरण कंपनियॉं राज्य में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन,पारेषण एवं वितरण का कार्य कर रहीं है। विभाग के प्रशासनिक अधिकार में विद्युत निरीक्षकालय एवं कंपनियों की गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है–

क.	कंपनी / निगम / विभाग	कार्य क्षेत्र	प्रमुख कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि., जबलपुर	विद्युत उत्पादन एवं विद्युत मांग की पूर्ति	प्रदेश में ताप, जल विद्युत का उत्पादन
2	एम.पी. पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमि., जबलपुर	विद्युत मांग की पूर्ति	प्रदेश में मांग के अनुसार पूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं आवश्यकतानुसार विद्युत का कय / विकय करना.
3	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि., जबलपुर, म.प्र. पूर्व / पश्चिम / मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि., जबलपुर / इंदौर / भोपाल	विद्युत पारेषण एवं वितरण	विद्युत उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति / विद्युत वितरण.
4	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	विद्युत सुरक्षा एवं निरीक्षण.	घरेलू एवं औद्योगिक एवं अन्य उपयोगकर्ताओं के विद्युत प्रदाय के कार्यों का निरीक्षण, विद्युत शुल्क एवं उपकर की प्राप्ति, विद्युत सुरक्षा एवं

विद्युत शुल्क एवं उपकर की चोरी की रोकथाम, निजी विद्युत उत्पादकों को अनुमति आदि.

ऊर्जा के क्षेत्र में किये गये विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य–

(अ) राज्य में विद्युत के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समय–समय पर नीतिगत निर्णय लिये जाते रहे है। ऊर्जा विभाग द्वारा दिनांक 6 सितंबर, 2010 को जारी मध्यप्रदेश (इनवेस्टमेंट इन पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स) पॉलिसी, 2010 के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 में निजी क्षेत्र की कंपनियों से 5620 मेगावाट क्षमता के मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना हेतु रू 31,040 करोड़ के निवेश के 5 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये।

(ब) राज्य मे निजी पूँजी निवेश पर आधारित ताप विद्युत सयंत्र की स्थापना किये जाने हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर उसके प्रबंधन हेतु " मध्यप्रदेश राज्य (ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना) भूमि प्रबंधन नियम, 2011" जारी किए गए है।

(स) राज्य सरकार ने लोकहित में राज्य की जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से विद्युत की खपत पर लगने वाले विद्युत शुल्क की दरों का युक्तियुक्तकरण करने हेतु मध्यप्रदेश विधान सभा के मानसून सत्र में मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जिसका लाभ राज्य की जनता को मिलना शुरू हो गया है। इसी प्रकार बिजली की खपत पर उपकर की राशि को भी समाप्त किया है।

(द) **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत** प्रदेश के सभी 50 जिलों हेतु जारी लगभग रूपये 2500 करोड़ की 48 योजनाएं बनाकर केन्द्र शासन/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रेषित की गई थी, जिनमें से 10 वी पंचवर्षीय योजना में 8 एवं 11वी पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में 24, इस प्रकार लगभग रूपये 1794 करोड़ लागत की 32 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिनका कार्य प्रगति पर है। दिनांक 30 नवम्बर, 2011 तक 447 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण के साथ 15,195 विद्युतीकृत ग्रामों में सघन विद्युतीकरण के कार्य किए गए। इन ग्रामों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले 564676 हितग्राहियों सहित कुल 751974 घरों के विद्युतीकरण के कार्य पूर्ण किए जा चुके है। दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के द्वितीय चरण में शेष 16 जिलों की 16 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनके कार्य टर्न–की आधार पर कराए जाने हेतु निविदा की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

(इ) **फीडरों का विभक्तिकरण योजना का कार्यान्वयन**–ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि सिंचाई पम्पों तथा घरेलू आबादी एवं अन्य उपयोग हेतु विद्युत प्रदाय कर रहे फीडरों को अलग करने हेतु फीडर विभक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में अन्य योजनाओं के साथ फीडर विभक्तिकरण योजनान्तर्गत एवं राज्य शासन के बजट में प्रावधान कर फीडर विभक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) एवं एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से स्वीकृत ऋण के अंतर्गत फीडर विभक्तिकरण का कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण के अंतर्गत फीडर विभक्तिकरण की योजना में प्रथम चरण में 23 जिलों के 2414 फीडरों के विभक्तिकरण कार्य जून 2012 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, प्रथम चरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा रूपये 1721 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है, जिस हेतु राज्य शासन द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को गारंटी प्रदान कर दी गई है।

फीडर विभक्तिकरण योजना के द्वितीय चरण में राज्य के अन्य 24 जिलों में 2873 फीडरों के विभक्तिकरण, एशियाई विकास बैंक से प्राप्त ऋण से किया जाना प्रस्तावित है। द्वितीय चरण में फीडर विभक्तिकरण का कार्य दिसम्बर 2012 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। द्वितीय चरण हेतु योजना की लागत का 80 प्रतिशत (चार सौ मिलियन डालर, लगभग 1840 करोड़ रूपये) ऋण के रूप में एशियाई विकास बैंक से प्राप्त होगा। शेष 20 प्रतिशत राशि काउन्टर फण्डिंग के लिए राज्य शासन द्वारा तीनों वितरण कंपनियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है।

फीडर विभक्तिकरण हेतु वर्तमान में किये गये कार्यो के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में तकनीकी हानियों में कमी के साथ–साथ विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार हुआ है तथा वोल्टेज में बढ़ोत्तरी परिलक्षित हुई है।

(ई) **नवीन स्थाई पंप कनेक्शन देने हेतु अनुदान योजना** –म.प्र.शासन द्वारा कृषकों को स्थायी पंप कनेक्शन देने हेतु 1 अप्रैल, 2011 से एक नई योजना प्रारंभ की गई है, जिसके लिए वर्ष 2011–12 में शासन द्वारा रूपये 106 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों (2 हेक्टेयर भूमि तक) को रूपये 5000 प्रति हार्सपावर की दर से राशि आवेदन पत्र के साथ ही संबंधित कार्यालय को जमा करानी होगी तथा अन्य कृषकों को रूपये 8000 प्रति हार्सपावर की दर से राशि जमा करानी होगी। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को 3 हार्सपावर या उससे अधिक के पंप हेतु आवेदन दिया जाना आवश्यक होगा। इस योजना में प्राक्कलन स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा प्रति पंप रूपये 1.50 लाख निर्धारित की गई है अर्थात् यदि कोई लघु एवं सीमांत कृषक 3 हार्सपावर के पंप के लिए कनेक्शन का आवेदन पत्र देता है तो उनको रूपये 15,000 विद्युत कार्यालय में जमा कराने होंगे तथा शेष राशि रूपये 1.35 लाख शासन द्वारा अनुदान के रूप में विद्युत वितरण कंपनियों को दी जायेगी।

इस योजना में कृषकों द्वारा सामूहिक आवेदन पत्र भी दिये जा सकते है, जिसमें प्राक्कलन स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा रूपये 1.50 लाख प्रति कृषक होगी अर्थात यदि 6 कृषकों द्वारा सामूहिक आवेदन पत्र दिया जाता है तो प्राक्कलन रूपये 9.00 लाख की सीमा तक स्वीकृत किया जा सकता है। यदि प्राक्कलन की लागत रूपये 1.50 लाख प्रति कृषक से अधिक होती है तो अंतर की राशि कृषको द्वारा देय होगी। इस योजना के अंतर्गत कार्य पूर्ण करने की अधिकतम समयावधि 180 दिन निर्धारित की गई है।

(उ) **स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना (ओवायटी)**–म.प्र.शासन द्वारा कृषकों को शीघ्र स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन दिये जाने के दृष्टिगत कृषकों को स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाये जाने की योजना स्वीकृत की गई है, जो कि 4 मई, 2011 से लागू हो गई है। इस योजना में किसान अपने व्यय से निर्धारित किये गये मापदंड के अनुसार ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकते है। इस योजना के अंतर्गत कृषकों द्वारा लगाये गये ट्रांसफार्मर से किसी अन्य कृषक को कनेक्शन नहीं दिये जायेंगे तथा इन ट्रांसफार्मरों का मेन्टेनेंस भी कृषकों द्वारा स्वयं किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत नये किसान तथा ऐसे किसान जिनका पूर्व में ही कनेक्शन विद्यमान है, वे भी अपने पंप कनेक्शन के लिये ट्रांसफार्मर लगा सकते है।

अध्याय –2

विभागाध्यक्ष कार्यालयों की संरचना एवं क्रियाकलाप

भाग–1

मध्यप्रदेश विद्युत निरीक्षकालय एवं उसकी गतिविधियां/क्रियाकलाप

मध्यप्रदेश विद्युत निरीक्षकालय का प्रमुख उत्तरदायित्व "टैक्नोलीगल" प्रकार का है, जिसके अंतर्गत निम्न अधिनियम तथा नियमों के प्रशासन का उत्तरदायित्व आता है :–

(1) विद्युत अधिनियम, 2003
(2) विद्युत नियम, 2005
(3) भारतीय विद्युत नियम, 1956
(4) मध्यप्रदेश सिनेमा गृह नियम, 1972
(5) मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) विनियम, 1960
(6) मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949
(7) मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 (उर्जा विकास उपकर)

विभागीय संरचना :–

विभाग की संरचना को वर्ष 2010 में पुनरीक्षित किया गया, जिसके आधार पर वर्तमान में विद्युत निरीक्षकालय में स्वीकृत कुल पदों की संख्या 594 है, जिनमें राजपत्रित वर्ग से प्रथम श्रेणी के 22, द्वितीय श्रेणी के 68, तृतीय श्रेणी के 403 एवं चतुर्थ श्रेणी के 101 पद है। विभाग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है, जिसके अधीन 4 वृत्त कार्यालय इन्दौर, उज्जैन, रीवा एवं जबलपुर में, जिला स्तर पर 14 संभागीय कार्यालय तथा जिला/तहसील स्तर पर 51 उपसंभागीय कार्यालय कार्यरत हैं।

विद्युत निरीक्षकालय की गतिविधियां एवं आय–व्यय की जानकारी :–

विद्युत निरीक्षकालय को विभिन्न नियमों एवं अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण एवं अनुज्ञापन शुल्क, विद्युत कर एवं उपकर से राजस्व प्राप्त होता है जो कि राज्य शासन की संचित निधि में संग्रहित होता है। विद्युत

निरीक्षकालय के लिये पृथक से बजट स्वीकृत नहीं किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में विद्युत निरीक्षकालय की गतिविधियां एवं आय एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है–

आय(आँकड़े करोड़ रूपये में)	वर्ष 2010–2011 में आय रूपये 1476.32 करोड	वर्ष 2011–2012 में रूपये 1370 करोड का लक्ष्य
व्यय (आँकड़े करोड़ रूपये में)	वर्ष 2010–2011 में व्यय रूपये 11.82 करोड	वर्ष 2011–2012 में अनुमानित व्यय का बजट प्रावधान रूपये 14.81 करोड

विभागीय गतिविधियां (सांख्यिकी)

राज्य में घटित होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं का संबंध विद्युत संस्थापनाओं से होता हैं । जिनकी जांच उपरांत इनकी रोकथाम के लिये तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जाते हैं । अन्य विद्युत दुर्घटनाओं के संबंध में जहां विद्युत दुर्घटनाओं में गंभीर दुर्घटनायें पायी जाती हैं, वहां सीधे न्यायालय में प्रकरण दायर कर अभियोजन की कार्यवाही की जाती है ।

विद्युत दुर्घटनाओं के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :–

1 टूटे तारों के सम्पर्क में आना ।
2 अज्ञानतावश बिजली के खंबे तथा टावरों पर चढ़ना ।
3 अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कार्य करना ।
4 विद्युत की लाईनो एवं उपकरणों में लीकेज होना।

राज्य में घटित विद्युत दुर्घटनायें –

इस वर्ष दि. 31 अक्टूबर 2011 तक कुल 363 विद्युत दुर्घटनाएं दर्ज हुई।

उच्चदाब उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों की संख्या :–

इस वर्ष 31 अक्टूबर 2011 की स्थिति में कुल 3454 उच्चदाब उपभोक्ता एवं 8404 उत्पादक पंजीकृत है।

निरीक्षण एवं परीक्षण :–

औद्योगिक तथा कृषि संबंधी विद्युत स्थापनाओं के निरीक्षण भी विद्युत निरीक्षकालय द्वारा किये जाते हैं । इस प्रकार ऊपर बतायी गयी विद्युत स्थापनाओं को सम्मिलित करते हुए इस वर्ष 1.58 लाख संस्थापनाओं का निरीक्षण किया गया।

अनुज्ञापन मण्डल :–

भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 45 के अंतर्गत मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) विनियम, 1960 बनाये गये हैं । जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा वर्ष में केवल जुलाई के महिने में तारमिस्त्री एवं पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण–पत्र एवं अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु परीक्षायें प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाती है। तारमिस्त्री परिक्षाओं का संचालन प्रत्येक संभागीय कार्यालय स्तर पर गठित संभागीय अनुज्ञापन समिति द्वारा किया जाता है । पर्यवेक्षक परिक्षायें मुख्यालय भोपाल में गठित अनुज्ञापन मण्डल के अधीन आयोजित की जाती है ।

तारमिस्त्री परिक्षायें निम्न स्थानों पर आयोजित की जाती है :–

1. रतलाम 2. उज्जैन 3. ग्वालियर 4. भोपाल 5. इन्दौर6. सतना
7. खण्डवा 8. जबलपुर 9. सीहोर 10.शहडोल 11.छिंदवाड़ा 12.बैतूल

पर्यवेक्षक परीक्षा निम्न केन्द्रों पर आयोजित की जाती है :–

1. भोपाल 2. जबलपुर 3. शहडोल

मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) भोपाल द्वारा "अ" वर्ग विद्युत ठेकेदारों एवं पर्यवेक्षकों को अनुज्ञप्ति जारी की जाती है । जबकि संभागीय अनुज्ञापन एवं क्षेत्रीय अनुज्ञापन समितियों द्वारा "ब" वर्ग विद्युत ठेकेदारी अनुज्ञप्ति एवं तारमिस्त्रीयों को परमिट जारी किये जाते हैं। इस वर्ष अद्यतन स्थिति में दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 तक नवीन विद्युत ठेकेदारी के 357 अनुज्ञप्तियॉं, 179 पर्यवेक्षक परमिट तथा 2023 तारमिस्त्री परमिट जारी किये गये है।

विद्युत शुल्क एवं उर्जा विकास उपकर :–

मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम/नियम 1949 एवं मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम,1981 (ऊर्जा विकास उपकर) के अंतर्गत वर्ष 2010–11 में विद्युत प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं एवं स्वयं के उत्पादकों से उत्पादित विद्युत खपत पर विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकर का 31 अक्टूबर, 2011 तक की स्थिति में 3507 उच्चदाब उपभोक्ता एवं 8287 उत्पादकों से विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकर के रिकार्ड का रखरखाव किया जा रहा है।

भाग–2
म.प्र.राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर

म. प्र. राज्य विद्युत मंडल का गठन :–

	नाम	पद
1.	श्री मोहम्मद सुलेमान	अध्यक्ष, म.प्र.राज्य विद्युत मंडल
2.	श्री मनीष रस्तोगी (भा.प्र.से.)	अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर एवं पदेन सदस्य, म.प्र.राज्य विद्युत मंडल
3.	श्री नीतेश व्यास (भा.प्र.से.)	अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक,म.प्र..मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि. भोपाल एवं पदेन सदस्य, म.प्र.राज्य विद्युत मंडल
4.	श्री डी.पी.आहूजा (भा.प्र.से.)	अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कं. लि. इंदौर(पदेन सदस्य म.प्र.राज्य विद्युत मंडल)
5.	श्री विजेन्द्र नानावटी	प्रबंध संचालक, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर (पदेन सदस्य)
6.	श्री उमेश राउतजी	प्रबंध संचालक,म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कं.लि.,जबलपुर एवं पदेन सदस्य, म.प्र.राज्य विद्युत मंडल
7.	श्री अजय नाथ (भा.प्र.से.)	प्रमुख सचिव (वित्त), म.प्र.शासन, भोपाल,(पदेन सदस्य)
8.	श्री डी.के.गुप्ता	वित्तीय सलाहकार,(अतिरिक्त प्रभार)

भाग–3
म.प्र.राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों की की प्रमुख गतिविधियों/उपलब्धियाँ का विवरण

कम्पनियों की प्रमुख उपलब्धियाँ

(i) म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की प्रमुख उपलब्धियाँ

विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता – वर्तमान में म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कपनीं लिमि. की कुल ताप एवं जल विद्युत स्थापित क्षमता 3847.5 मेगावाट है, जिसमें ताप विद्युत क्षमता 2932.5 मेगावाट एवं जल विद्युत क्षमता 915 मेगावाट है। वर्ष 2011–12 मे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा ताप एवं जल विद्युत उत्पादन का लक्ष्य क्रमशः 19677 मिलियन इकाई एवं 2560 मिलियन इकाई निर्धारित किया है । वर्ष 2011–12 में नवंबर, 2011 तक कुल ताप एवं जल विद्युत उत्पादन क्रमशः 9626.67 मिलियन इकाई एवं 2042.96 मिलियन इकाई हुआ।

संयंत्र उपयोगिता घटक –

विगत दो वर्षो में म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कपनीं लिमि. के ताप विद्युत गृहों का संयंत्र उपयोगिता घटक निम्नानुसार रहा है –

वर्ष	संयंत्र उपयोगिता घटक प्रतिशत में
2009–10	62.86 प्रतिशत
2010–11	61.10 प्रतिशत
2011–12 (15 दिसम्बर 2011 की स्थिति में)	56.06 प्रतिशत

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2010–11 के लिए ताप विद्युत गृहों हेतु पीएलएफ 74.40 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, जिसके लिए आवश्यक 170 लाख मीट्रिक टन कोयले के विरुद्ध कम कोयला प्राप्त होने से मानक पीएलएफ कम प्राप्त हुआ।

म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. के ताप एवं जल विद्युत गृहों की स्थापित क्षमता का विवरण प्रपत्र–3 में , पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र की केन्द्रीय परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत में मध्यप्रदेश के अंश की जानकारी प्रपत्र–4(अ) एवं प्रपत्र–4(ब) में म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि. की उपलब्धियां प्रपत्र–5 और विद्युत वितरण कंपनियो से संबंधित समंक प्रपत्र–6 से प्रपत्र–8 में प्रस्तुत है।

(अ)ताप विद्युत परियोजनायें

1.सतपुड़ा ताप विद्युत गृह 2 X 250 मेगावाट विस्तार इकाई कमांक 10 एवं 11, सारणी, जिला बैतूल

वित्त प्रबंधन

परियोजना लागत	**– रू. 3034.34 करोड़**
पी.एफ.सी. द्वारा स्वीकृत ऋण	**– रू. 2300.2 करोड़**
अंशपूंजी	**– रू. 606.47 करोड़**

पुनरीक्षित परियोजना लागत रूपये 3032.34 करोड़ आंकलित है। पी.एफ.सी ने इस परियोजना हेतु कुल 2300.2 करोड़ ऋण स्वीकृत किया है। परियोजना का वित्तीय पोषण 80:20 के अनुपात में पी.एफ.सी. से ऋण तथा राज्य शासन से अंशपूंजी द्वारा किया जाना है।

पुनरीक्षित लक्ष्य के अनुसार परियोजना की इकाईयों से वाणिज्यिक उत्पादन की संभावित तिथि निम्नानुसार है –

इकाई क. 1 – अगस्त 2012 (व्यवसायिक उत्पादन)
इकाई क. 2 – नवम्बर 2012 (व्यवसायिक उत्पादन)

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं वर्ष 2011–12 की उपलब्धियॉ

- दिनांक 08.04.2010 को बॉयलर इरेक्शन का कार्य शुरू किया गया।
- मेसर्स बी.एच.ई.एल. द्वारा मुख्य संयंत्र से संबंधितं सामग्री की आपूर्ति, इरेक्शन एवं सिविल संबंधित कार्य जारी रहे।
- बैलेंस आफ प्लांट (बी.ओ.पी.) की सामग्री की आपूर्ति, इरेक्शन एवं सिविल संबंधित कार्य जारी रहे।
- कुछेक कार्यों को छोड़कर सभी नॉन ईपीसी सिविल संबंधित कार्य पूर्ण किये गये।
- इकाई कमांक 10 एवं 11 के बॉयलर ड्रम स्थापित किये गये। इकाई क्रं. 10 के बायलर का हायड्रालिक टेस्ट दिनांक 04.11.2011 को लिया गया।
- इकाई कमांक 10 एवं 11 के बॉयलर एवं ई.एस.पी. के इरेक्शन का कार्य प्रगति पर रहा।
- टी.जी. (हॉल) फ्लोर स्लेब कास्ट पूर्ण।
- कूलिंग टॉवर, वेगन टिपलर, रिक्लेमर हॉपर, रॉ वाटर एवं क्लेरीफ्लोक्यूलेटर इत्यादि के सिविल कार्य प्रगति पर रहे।
- कोल बंकर सेल इरेक्शन का कार्य प्रगति पर।
- एक ई.ओ.टी. (टी.जी.) कियाशील की गई।
- इकाई क्र. 10 हेतु विद्युत गृह की रूफ सीट फिक्सिंग का कार्य पूर्ण।
- चिमनी का सिविल कार्य 268 मीटर ऊंचाई तक पूर्ण।
- बायलर आक्जलरीज के फाउंडेशन का कार्य प्रगति पर।
- मुख्य संयंत्र के सिविल कार्य, उपकरणों की आपूर्ति एवं इरेक्शन प्रगति पर।
- बैलेंस ऑफ प्लांट (बी.ओ.पी.) के सिविल कार्य, उपकरणों की आपूर्ति एवं इरेक्शन प्रगति पर।
- रेल्वे साइडिंग हेतु रेल्वे द्वारा डी.पी.आर. प्लान की स्वीकृति तथा विस्तार रेलवे साइडिंग सिविल कार्य प्रगति पर।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के शेष कार्य

क्रं.	विवरण	इकाई क्रं. 10	इकाई क्रं. 11
1.	टी.जी.डेक का कार्य पूर्ण करना	अप्रैल 2011 (पूर्ण)	सितम्बर 2011 (पूर्ण)
2	कण्डेण्सर इरेक्शन का कार्य शुरू करना।	जुलाई 2011 (कार्य आरंभ)	दिसम्बर 2011
3	ई.ओ.टी. क्रेन की उपलब्धता।	नवम्बर 2011	नवम्बर 2011 (एक क्रेन की कामिशनिंग पूर्ण)
4	टरबाइन इरेक्शन का कार्य शुरू करना।	नवम्बर 2011	फरवरी 2012
5	बॉयलर हाइड्रोलिक टेस्ट पूर्ण करना।	नवम्बर 2011	जनवरी 2012
6	पूर्ण ऊचॉई तक कूलिंग टॉवर का निर्माण कार्य पूर्ण करना।	मार्च 2012	—
7	डी.एम.प्लांट एक स्ट्रीम की उपलब्धता	मार्च 2012	—

2.श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (2 गुणित 600 मेगावाट)– प्रथम चरण ग्राम–डोंगलिया जिला–खंडवा

वित्त प्रबंधन

परियोजना लागत – रूपये 6750 करोड़ ।
पी.एफ.सी. द्वारा
स्वीकृत ऋण – रूपये 5160.42 करोड़
अंशपूंजी – रूपये 1350 करोड़ ।

श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में पुनरीक्षित लक्ष्य के अनुसार परियोजना की इकाईयों से वाणिज्यिक उत्पादन की संभावित तिथि निम्नानुसार है:–

इकाई क. 1 – दिसंबर 2012 (व्यवसायिक उत्पादन)
इकाई क. 2 – मार्च 2013 (व्यवसायिक उत्पादन)

परियोजना निर्माण कार्यों की प्रगति

वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में परियोजना की विशेष उपलब्धियॉं

- मेसर्स बी.एच.ई.एल. द्वारा मुख्य संयंत्र से संबंधित सामानों की आपूर्ति, इरेक्शन एवं सिविल संबंधित कार्य जारी रहे।
- बैलेंस आफ प्लांट (बी.ओ.पी.) के सामानों की आपूर्ति इरेक्शन एवं सिविल संबंधित कार्य जारी रहे।
- मुख्य संयंत्र के बॉयलर एवं ई.एस.पी. का इरेक्शन कार्य तथा टीजी, कूलिंग टॉवर एवं शेष संयंत्र के अन्य क्षेत्रों में सिविल फाउण्डेशन हेतु खुदाई का कार्य प्रगति पर रहा।
- चिमनी का निर्माण पूर्ण ऊंचाई 271.25 मीटर तक किया गया ।
- कंस्ट्रक्शन पॉवर हेतु सामग्री की आपूर्ति प्रगति पर रही।
- इकाई क्रमांक 1 एवं 2 के टी.जी. रॉफ्ट का कार्य पूर्ण किया गया।
- विभिन्न फाउण्डेशनों हेतु सिविल का कार्य प्रगति पर रहा।
- बॉयलर एवं ईएसपी के इरेक्शन का कार्य प्रारंभ होकर निरंतर जारी रहा।
- फल्यू केन फैब्रीकेशन का कार्य प्रगति पर है।
- कूलिंग टॉवर 1 एवं 2 का निर्माण द्रुतगति से किया जा रहा है।
- 220 के.व्ही. एवं 400 के.व्हीं. स्वीचयार्ड में टॉवर एवं उपकरणों का इरेक्शन कार्य प्रगति पर है।
- कोल हैंडलिंग प्लांट निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इरेक्शन कार्य जारी है।
- परियोजना के विभिन्न क्षेत्रों में सिविल फाउंडेशन कार्य पूर्ण किये गये हैं ।

वर्ष 2011–12 के शेष कार्य

क्र.	विवरण	इकाई क्र. 01	इकाई क्र. 02
1.	टी.जी.डेक का कार्य पूर्ण करना।	अक्टूबर 2011	मार्च 2012
2	कण्डेन्सर इरेक्शन का कार्य शुरू करना।	दिसम्बर 2011	मार्च 2012
3	ई.ओ.टी. क्रेन की उपलब्धता।	दिसम्बर 2011	फरवरी 2011
4	टरबाइन इरेक्शंन का कार्य शुरू करना।	दिसम्बर 2011	मार्च 2012
6	पूर्ण ऊंचॉई तक कूलिंग टॉवर का निर्माण कार्य पूर्ण करना।	नवम्बर 2011	फरवरी 2012
7	डी.एन.प्लाट एक स्ट्रीम की उप स्थल	मार्च 2012	—
8	बॉयलर हाइड्रोलिक टेस्ट पूर्ण करना।	मार्च 2012	—

3.श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना चरण–।। इकाई कमांक 3 एवं 4, (2 गुणित 660 मेगावाट) डोंगलिया, जिला–खंडवा

परियोजना के द्वितीय चरण के निर्माण पूर्व आवश्यक सभी वैधानिक एवं औपचारिक स्वीकृतियॉं व अनापत्तियॉं प्राप्त करने हेतु वॉछित कार्यवाही करने की म.प्र. शासन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है। परियोजना हेतु जल आवंटन व भूमि भी उपलब्ध है।

वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में उपलब्धियॉं

शीघ्र कोयला आवंटन हेतु दि.–14.07.11 को कोयला मंत्रालय को पुनः निवेदन किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु कोयला आवंटन अभी नहीं किया गया है। माननीय विद्युत मंत्री, भारत सरकार ने भी इस परियोजना हेतु कोयला आवंटन बाबत् कोयला मंत्रालय को अनुशंसा कर दी है। सचिव, ऊर्जा द्वारा कोल मंत्रालय को शीघ्र कोल आवंटन हेतु दिनांक 14.10.2011 को पत्र प्रेषित किया गया।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यह बताया गया कि कोल लिंकेज के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण अध्ययन हेतु अभि–उद्देश्यों की सीमा (टर्म ऑफ रिफरेन्स) तय किया जाना आवश्यक है। तदनुसार अग्रिम कार्यवाही के लिए दि. 20.10.10 को मे. रामकी, हैदराबाद को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। मे. रामकी से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया जा रहा है।

अग्रिम कार्यवाही करने के लिए प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट तथा आवश्यक फार्म–। तैयार कर अभि–उद्देश्यों की सीमा (टर्म ऑफ रिफरेन्स) तय करने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को 19 जनवरी 2011 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। परियोजना क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी बेस डाटा का अध्ययन भी कर लिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय से यह भी पुनः निवेदन किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति को कोयला आवंटन से न जोड़कर शीघ्र ही प्रदान करने का कष्ट करें।

एस.बी.आई कैप, आर.ई.सी., पी.एन.बी., पी एफ सी एवं हुडको से ऋण प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। वित्तीय संस्थानों द्वारा वांछित जानकारियॉं उन्हें प्रदान कर दी गई हैं।

वर्ष में लक्ष्य एवं अद्यतन उपलब्धियॉं :

म.प्र. शासन की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक–07.01.11 के अनुसार परियोजना के दोनो चरणों हेतु एक विशेष प्रयोजन उपकम (एस.पी.व्ही.) का गठन किया जाना है। एस.पी.व्ही. के गठन के उपरांत आई.पी.ओ. के माध्यम से संग्रहित अंशपूंजी का उपयोग शासन द्वारा किये गये पूंजी निवेश की वापसी हेतु किया जाना है। तदनुसार एस.पी.व्ही. स्थापना एवं कंपनी रजिस्ट्रार में पंजीयन करने हेतु प्रारुप मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन (एम.ओ.ए.) एवं आरटिकल ऑफ एसोसिएशन (ए.ओ.ए.) तैयार कर म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. के बोर्ड की स्वीकृति के उपरांत एस.पी.व्ही. का गठन एवं पंजीकरण किया गया है।

मेसर्स लाहमेयर इंटरनेशनल (इंडिया) लि., गुडगांव को दि. 03.08.2011 को परियोजना परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। परामर्शदाता के साथ दि. 25/26.08 2011 को बैठक कर अग्रिम कार्यवाही की रूपरेखा तैयार कर ली गई हैं।

लक्ष्य :– कोयला आवंटन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति व ई.पी.सी. कार्यादेश जारी किया जाना मुख्य लक्ष्य होगा ।

4. 2 गुणित 800 मेगावाट बाण सागर ताप विद्युत परियोजना, ग्राम–टिकुराटोला, जिला–शहडोल(म.प्र.)

मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमि. को सुपरक्रिटिकल टेक्नॉलाजी का प्रयोग कर बाणसागर ताप विद्युत परियोजना (2 गुणित 800 मेगा वाट) की स्थापना करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई है।

बाणसागर परियोजना की फिजिबिलिटी स्टडी हेतु नियुक्त सलाहकार मेसर्स डेज़िन द्वारा फिजिबिलिटी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। संबंधित विभागों द्वारा समीक्षा की गई। चिन्हित स्थल पर परियोजना के पॉवर हाऊस इन्टेक वॉटर कॉरीडोर, रेल लाइन, राखड़ बॉध, कालोनी, सड़कें इत्यादि हेतु, चिन्हित स्थल का सर्वेक्षण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन को अंतिम रुप दिया जाना शेष है।

भारतीय रेलवे के संस्थान मेसर्स राइट्स द्वारा रेल मार्ग हेतु सर्वेक्षण किया गया तथा विजयसोता स्टेशन के बाद से "आफटेक पाइन्ट" लेने हेतु सलाह दी।

विजयसोता गॉव से सोन नदी को पार करने हेतु पुल न होने से अद्यतन, परियोजना स्थल जाने हेतु कटनी से शहडोल–ब्यौहारी होते हुए जाना पड़ता है। अगर सोन नदी पर सेतु निर्माण (480 मीटर) होता है तो यह दूरी लगभग 130 कि.मी. कम हो जावेगी। सेतु निर्माण हेतु स्टेज–1 का आंकलन (16.50 करोड़ का) लोक निर्माण विभाग (सेतु), भोपाल को प्रस्तुत किया गया है।

आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियॉ/अनापत्तियॉ प्राप्त करने हेतु कार्यवाही कर कोयला लिकेंज बावत् आवश्यक शुल क सहित आवेदन कोयला मंत्रालय, भारत शासन को प्रेषित किया गया। तदुपरांत, सी.ई.ए. द्वारा चाही गई जानकारी प्रेषित की गई।

परियोजना हेतु सोन बेसिन से पानी आवंटित करने के संबंध में भोपाल में सम्पन्न राज्य स्तरीय जल आवंटन समिति की 30वीं बैठक में निर्णय लिया गया, कि बाणसागर जलाशय या उसके उर्ध्व भाग (अपर स्ट्रीम) से जल आवंटन चाहने वाले उद्योगों/ताप विद्युत गृहों को बाणसागर जलाशय से निकली नहरों के सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग कर, उससे बचत हुए पानी का आवंटन किया जाए। इस हेतु कांक्रीट लाइनिंग की लागत जल आवंटन चाहने वाले उद्योगों/ताप विद्युत गृहों द्वारा चाहे गए जल आवंटन के अनुपात में वहन किया जाना प्रस्तावित है। अंतिम निर्णय प्रतीक्षित है।

5. 2 गुणित 600/2 गुणित 660 मे.वा. संजय गॉधी ताप विद्युत गृह, बिरसिंहपुर, जिला–उमरिया

इकाई की स्थापना हेतु मेसर्स डेजिन द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट फीजिबिलिटी प्रतिवेदन का अध्ययन संबंधित विभागों द्वारा किया गया। परियोजना के लिये आवश्यक जल, भूमि एवं रेल/सड़क परिवहन से संबंधित विभिन्न मुद्दों एवं राखड़ बॉध के परिप्रेक्ष्य में, परियोजना हेतु नियुक्त सलाहकार मेसर्स डेजिन के साथ सर्वेक्षण किया गया तथा पॉवर हाउस एवं राखड़ बॉध हेतु स्थल चिन्हित किये गये।

मेसर्स राइट्स द्वारा रेल यातायात हेतु प्रारंभिक सर्वे कर बिरसिंहपुर स्टेशन से ही आफटेक लेना उचित बताया। परियोजना हेतु जल की आवश्यकता बिरसिंहपुर में वर्तमान में संचालित इकाईयों को आवंटित जल से ही पूरी हो जायेगी एवं अलग से जल आवंटन की जरुरत नहीं पड़ेगी।

6. 2 गुणित 600 मे.वा./2 गुणित 800 मे.वा. चंदिया ताप विद्युत गृह, जिला–कटनी

ग्राम चंदिया जिला–उमरिया के पास 2 **गुणित** 600 मेगावाट या 2 **गुणित** 800 मेगावाट के ताप विद्युत गृहों की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल पर असिंचित भूमि उपलब्ध है तथा परियोजना में लगने वाले जल की व्यवस्था "छोटी महानदी" नदी पर रिजरवायर बनाकर किया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर प्राथमिक स्थल का चयन किया गया एवं इस स्थल का इन हाउस अध्ययन किया गया। विस्तृत अध्ययन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही हैं।

दिनांक–28.08.09 को जिला जल उपयोग कमेटी उमरिया की संपन्न बैंठक में लिये गये निर्णय अनुसार परियोजना के लिये आवश्यक जल के आवंटन हेतु अपनी अनुशंसा म.प्र. शासन को भेजी है।

7. 2 गुणित 800 मेगावाट दादा धूनीवाले थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट गोराड़िया, जिला–खण्डवा

परियोजना की स्थापना के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी तथा मेसर्स बीएचईएल की संयुक्त उपक्रम कंपनी का गठन किया गया। परियोजना की फिजीबिलिटी स्टडी एवं ई.आई.ए. स्टडी प्रगति पर है। परियोजना के लिये भू–अर्जन की कार्यवाही जारी है। 1.55 टीएमसी जल आवंटन हेतु वॉछित राशि एफ.डी. आर. के रूप में जमा कर दी गई है।

परियोजना के लिये 7.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष कोयले के आवंटन हेतु केन्द्रीय कोल मंत्रालय को आवेदन प्रेषित किया गया तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वांछित जानकारी प्रेषित की गई है।

परियोजना के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु टी.ओ.आर प्राप्त। परियोजना के लिये भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

8. विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रदेश में संभाव्यता (जल एवं परमाणु ऊर्जा आधारित)

राज्य में बिजली की बढ़ती हुई मांग तथा मांग एवं आपूर्ति के बीच निरन्तर बढ़ते हुए अन्तर को दृष्टिगत रखते हुए, प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रयत्न किया जा रहा है। इस सम्बंध में प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निम्नांकित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु संभाव्य क्षमता का आंकलन किया गया व इनकी स्थापना हेतु सर्वेक्षण अन्वेषण परियोजना प्रतिवेदन बनाने तथा विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने इत्यादि का कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

(1)परमाणु ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाएं

(i) इस परियोजना में चुटका, जिला–मण्डला में 2 गुणित 700 में.वा. की परमाणु विद्युत आधारित परियोजना की स्थापना हेतु भारत शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राज्य शासन ने न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड से समन्वय एवं सहयोग हेतु मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमि को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन द्वारा भूमि अधिग्रहण, सर्वेक्षण तथा अन्य कार्य मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमि. के सहयोग से किए जा रहे है।

(ii) परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा म.प्र. के ग्राम भीमपुर में 4 गुणित 700 मेगावाट क्षमता की परमाणु विद्युत परियोजना हेतु दिनांक 16.09.2011 को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना के सर्वेक्षण आदि कार्य प्रारंभ किए गए।

(2)जल आधारित विद्युत परियोजना

(1) कन्हान जलविद्युत परियोजना (90 मेगावाट), जिला–छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की बहुउद्देश्यीय परियोजना।
(2) सोन जलविद्युत परियोजना (100 मेगावाट), जिला–सीधी, बाणसागर बांध के डाउन स्ट्रीम में।
(3) गांधीसागर–दो जलविद्युत परियोजना (160 मेगावाट) मन्दसौर जिले में चम्बल नदी पर।

तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहारिकता प्रतिपादित होने पर व आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने पर उपरोक्त परियोजनाओं को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित करने का लक्ष्य है।

(ii) म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की प्रमुख उपलब्धियाँ

(1) अति उच्चदाब पारेषण लाइनें एवं उपकेन्द्र : वर्ष 2010–11 में म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पारेषण कार्यों हेतु 295.00 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय स्वीकृत किया गया था। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में पारेषण कार्यों हेतु 275.00 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया था। वर्ष 2010–11 में योजना मद में 261.91 करोड़ रुपये तथा अन्य स्त्रोतों से 134.89 करोड़ रूपये कुल रुपये 396.80 करोड़ का व्यय कर 1847 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा अति उच्चदाब उपकेन्द्रों की 2193 एमवीए की क्षमता वृद्धि की गई।

(2) पारेषण– वर्ष 2011–12 में पारेषण कार्यो हेतु 193.00 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2011–12 में राज्य शासन के बजट में पारेषण कार्यों हेतु 195.16 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2011–12 में अगस्त 2011 तक योजना मद में 78.16 करोड़ रुपये तथा अन्य स्त्रोतों से 102.49 करोड़ रूपये कुल रुपये 180.65 करोड़ रूपये का व्यय कर 255 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा अति उच्चदाब उपकेन्द्रों की क्षमता में 606 एमवीए की वृद्धि की गई, जिससे माह अगस्त 2011 के अंत तक अति उच्चदाब लाइनों की कुल लम्बाई बढ़कर 26724 सर्किट किलोमीटर हो गई है एवं इसी अवधि में कुल 245 अति उच्चदाब उपकेन्द्रों की कुल क्षमता 34838 एमवीए हो गई।

(3) पारेषण लाइनों व उपकेन्द्रों की उपलब्धियाँ – वर्ष 2010–11, 2011–12 में अगस्त 2011 तक पारेषण लाइनों व उपकेन्द्रों की उपलब्धियाँ तथा अगस्त 2011 के अंत में प्रगामी स्थिति निम्नानुसार थी :–

क्र	विवरण	इकाई	2010–11 में उपलब्धि	2011–12 में अगस्त 2011 तक उपलब्धि	अगस्त 2011 के अंत में प्रगामी स्थिति
क	पारेषण लाइनें				
	400 केवी	सर्किट कि.मी.	–	–	2343
	220 केवी	सर्किट कि.मी.	1049	14	10870
	132 केवी	सर्किट कि.मी.	798	241	13450

	66 केवी	सर्किट कि.मी.	–	–	61
	योग (अ)	सर्किट कि.मी.	1847	255	26724
ख	अति उच्चदाब उपकेन्द्र				
	400 केवी	एम.वी.ए.	630	–	4515
	220 केवी	एम.वी.ए.	740	320	14670
	132 केवी	एम.वी.ए.	823	286	15633
	66 केवी	एम.वी.ए.	–	–	20
	योग (ब)	एम.वी.ए.	2193	606	34838

(4)पी.एफ.सी. से वित्तीय सहायता

वित्तीय वर्ष 2010–11 में पी.एफ.सी. से कुल स्वीकृत ऋण में से दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति में राशि रूपये 765.46 करोड़, 400 के.व्ही., 220 के.व्ही., 132 के.व्ही. उपकेन्द्रों एवं पारेषण लाईनों के साथ–साथ विभिन्न पारेषण कार्यों के लिए आहरित की गई है। उक्त ऋण में से राशि रूपये 411.43 करोड़ को मूलधन पुनर्भुगतान के रूप में वापस किया गया तथा राशि रूपये 354.03 करोड़ का भुगतान शेष है।

(iii)म.प्र. पॉवर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर की प्रमुख उपलब्धियाँ

(1)विद्युत उत्पादन में क्षमता वृद्धि –

वर्ष 2011 में निम्न परियोजनाओं से प्रदेश की विद्युत क्षमता में 192 मेगावाट की वृद्धि हुई है जिससे मार्च 2011 में प्रदेश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 8999 मेगावाट हो गई है।

क्र.	परियोजना का नाम	क्षमता	म.प्र.का हिस्सा	विद्युत प्राप्त होने की तिथि
1	इंदिरा सागर–बाई नहर परियोजना	3 गुणित 5	15 मेगावाट	दिसंबर 10
2	कोरबा सुपर ताप विद्युत स्टेज – 3	1 गुणित 500 मेगावाट	74 मेगावाट (पीक) एवं 77 मेगावाट (ऑफ पीक)	मार्च 11
3	मेसर्स टोरेंट पावर कार्पोरेशन सूरत	1100 मेगावाट	100 मेगावाट	मार्च 11

(2)दीर्घावधि विद्युत कय अनुबंध एवं परियोजनाओं की प्रगति

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नई दिल्ली द्वारा कियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं से दीर्घावधि विद्युत कय अनुबंध निष्पादित किये गये है, जिनसे राज्य को लगभग 2627 मेगावाट विद्युत प्राप्त होने की संभावना है। इन परियोजनाओं में विंध्याचल सुपर ताप परियोजना स्टेज–4, सिंगरौली (1 गुणित 500 मेगावाट) से 128 मेगावाट प्राप्त करने हेतु दिनांक 09.10.2010, बरेठी सुपर ताप विद्युत परियोजना, छतरपुर (6 गुणित 660 मेगावाट) से 1980 मेगावाट एवं लारा सुपर ताप विद्युत परियोजना स्टेज–1 एवं स्टेज–2, रायगढ़, छत्तीसगढ (2 गुणित 800 मेगावाट तथा 3800 मेगावाट स्टेज–2) से 319 मेगावाट विद्युत प्राप्त करने हेतु दिनांक 27.11.2010, एन.टी.पी.सी., गाडरवारा सुपर ताप विद्युत परियोजना, जिला नरसिंहपुर (4 गुणित 660 मेगावाट) से उत्पादित विद्युत में से 1320 मेगावाट विद्युत प्राप्त करने के संबंध में दिनांक 14.12.2010, सनावद सुपर ताप विद्युत परियोजना, खरगौन (2 गुणित 660 मेगावाट) से 660 मेगावाट प्राप्त करने हेतु दिनांक 24.12.2011 तथा ध्रुवन सुपर ताप विद्युत परियोजना स्टेज– 1 एवं स्टेज–2, जिला आनद गुजरात (2660 स्टेज–1 एवं 1660 स्टेज–2 मेगावाट) से 200 मेगावाट बिजली प्राप्त करने हेतु दिनांक 24.12.2011 को विद्युत कय अनुबंध (पी.पी.ए.) किए गए है।

वर्ष 2011–12 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा अक्टूबर 2011 में कियान्वित सीपत परियोजना (प्रथम इकाई) से 94.3 मेगावाट तथा दामोदर वेली कार्पोरेशन द्वारा जुलाई एवं नवम्बर 2011 में कियान्वित की गई इकाईयों से कमशः 100–100 मेगावाट विद्युत प्राप्त हो रही है।भारत सरकार द्वारा विद्युत कय हेतु निर्धारित प्रकिया केस –। के अंतर्गत एस्सार पावर लिमिटेड से 150 मेगावाट विद्युत के कय हेतु अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ है। यह विद्युत अक्टूबर 2014 से मिलने की संभावना है।

(क)सोलापुर एसटीपीएस (2 गुणित 660 मेगावाट)

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नई दिल्ली एवं एम.पी.पॉवर ट्रेडिंग कपंनी लिमि. के मध्य हस्ताक्षरित दीर्घ अवधि विद्युत क्रय अनुबंध से राज्य को लगभग 350 मेगावाट विद्युत प्राप्त होने की संभावना है। इस परियोजना से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2014–15 से प्रारंभ होना संभावित हैं ।

(ख)मौदा एसटीपीएस स्टेज–III (2 गुणित 660 मेगावाट)

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नई दिल्ली एवं एम.पी.पॉवर ट्रेडिंग कपंनी लिमि. के मध्य दीर्घ अवधि विद्युत क्रय अनुबंध निष्पादित किया गया। इस परियोजना से राज्य को लगभग 150–200 मेगावाट विद्युत प्राप्त होने की संभावना हैं। विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2014–15 से संभावित हैं।

(ग)विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज–V (1 गुणित 500 मेगावाट)

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नई दिल्ली एवं एम.पी.पॉवर ट्रेडिंग कपंनी लिमि. के मध्य दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंध को निष्पादित किया गया हैं। इस परियोजना से राज्य को लगभग 150 मेगावाट विद्युत प्राप्त होने की संभावना है। विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना स्टेज–V से विद्युत का उत्पादन 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रारंभ होने की संभावना हैं।

उपरोक्त उल्लेखित दीर्घकालीन विद्युत क्रय हेतु किये गये अनुबंधों के अनुसार इन परियोजनाओं से मध्यप्रदेश को विद्युत का आवंटन विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3)एन.एच.डी.सी., भोपाल से किये गये दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंध :–

एन.एच.डी.सी. भोपाल द्वारा रेवापुर जिला खण्डवा में स्थापित की जाने वाली रेवा ताप विद्युत गृह (2 गुणित 660 मेगावाट) परियोजना हेतु दिनांक 03.01.2011 को विद्युत क्रय अनुबंध किया गया। इस परियोजना से एम.पी.ट्रेडको को लगभग 858 मेगावाट विद्युत प्राप्त होगी।

एम.पी.जेनको के साथ किये गये विद्युत क्रय अनुबंधो का विवरण :– एम.पी.जेनको द्वारा जनवरी 2011 में सतपुड़ा, सिंगाजी स्टेज–1, सिंगाजी स्टेज–2 एवं दादा धुनी वाले खण्डवा ताप विद्युत परियोजनाओं के साथ किये गये विद्युत क्रय अनुबंधों से क्रमशः 500, 1200, 1188 एवं 1040 मेगावाट विद्युत की प्राप्ति होगी।

(4)निजी उत्पादकों से किये गये दीर्घावधि विद्युत क्रय अनुबंधों का विवरण :–

राज्य शासन द्वारा 52 कंपनियों से विद्युत परियोजनाये म.प्र.में स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये है। इन परियोजनाओं में से 8 परियोजनाओं के साथ विगत एक वर्ष के दौरान 2536 मेगावाट के विद्युत विक्रय अनुबंध किये गये है, इसके अतिरिक्त एस्सार पावर लिमिटेड से केस 1 के तहत 150 मेगावाट .एवं 10 गुणित 40 मेगावाट की महेश्वर जल विद्युत परियोजना से आगामी वर्षों में विद्युत प्राप्त होगी। इसी प्रकार निजी क्षेत्र की टोरेंट गैस विद्युत परियोजना द्वारा अप्रैल 2011 से 100 मेगावाट विद्युत प्राप्त हो रही है।

वर्ष 2011–12 में 30 नवम्बर तक निम्न परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन का 30 प्रतिशत अंश रियायती दर पर प्राप्त करने के अधिकार के अंतर्गत राज्य शासन एवं एम.पी.पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा किये गये दीर्घकालिक विद्युत क्रय अनुबंध की जानकारी निम्नानुसार है –

(आकड़े मेगावाट में)

क्रं.	परियोजना का नाम	परियोजना स्थल	प्रस्तावित क्षमता	म.प्र. का हिस्सा			विद्युत क्रय अनुबंध रियायती	प्रथम अधिकार	कियान्वयन की संभावित तिथि
				रियायती	प्रथम अधिकार	कुल			
1	मेसर्स एम.बी. पावर	अनूपपुर	2 X 600	60	360	420	4.5.2011	5.1.2011	2014–15
2	मेसर्स बीना पावर कंपनी लिमिटेड	बीना	2 X 250 + 3 X 250	25 +37.5 कुल 62.5	602.5	350 +315 कुल 665	27.7.2011	5.1.2011	2012–13
3	मेसर्स डी.बी. पावर (एम.पी.) लिमिटेड,	सिंगरौली	2 X 660	–	396	396	5.01.2011	–	2015–16
4	मेसर्स बी.एल. ए.पावर	निवारी गाडरवारा	2 X 45	4.5	27	31.5	4.5.2011	5.1.2011	2011–12

5	मेसर्स जे.पी. निगरी	सीधी	2 X 660	99	396	495	6.9.2011	5.1.2011	2013–14
6	मेसर्स झाबुआ	सिवनी	600	30	180	210	27.6.2011	5.1.2011	2013–14
			660	36	–	36	27.6.2011	5.1.2011	2013–14
7	मेसर्स वेलस्पन	कटनी	3 X 660	99	594	693	16.8.2011	5.1.2011	2014–15
8	मेसर्स एस.ई. डब्ल्यू. ताप विद्युत कार्पोरेशन लिमि.	सिवनी	2 X 660	66	–	66	11.7.2011	–	–
			कुल	457	2555.5	3012.5			

(5)नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाएं

वर्ष 2010–11 एवं वर्ष 2011–12 में निजी क्षेत्र की 27 परियोजनाओं से 142.5 मेगावाट पवन ऊर्जा तथा 4 बायोमास परियोजनाओं से 4.80 मेगावाट एवं 20 सौर ऊर्जा परियोजनाओं से 22.05 मेगावाट के विद्युत क्रय अनुबंध किये गये हैं। यह उल्लेखनीय है कि पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिये किये गये 20 अनुबंधों में से 19 परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त होने लगी है।

(6)अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट में म.प्र. का आवंटन

भारत सरकार द्वारा विकसित किये जा रहे विभिन्न अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट से राज्य को निम्नानुसार विद्युत का आवंटन किया गया है :–

क्र.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	म.प्र.को प्राप्त आवंटन(मेगावाट)	टीप
1	सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट	6गुणित 660	1485	वर्ष 2013 में प्रारंभ
2	तिलैया अल्ट्रमेगा पावर प्रोजेक्ट	6 गुणित 660	200	वर्ष 2015 में प्रारंभ
3	उड़ीसा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट	4000	400	पीएफसी द्वारा आर एफ. क्यू.जारी किया गया है।
4	छत्तीसगढ़ अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट	4000	425	पीएफसी द्वारा आर एफ. क्यू.जारी किया गया है।
5	आंध्रप्रदेश का द्वितीय अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट	4000	170*	प्रारंभिक चरण में
6	महाराष्ट्र अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट	4000	500	प्रारंभिक चरण में
		कुल	3180	

(*) इस 170' मेगावाट में से 55 मेगावाट मध्यप्रदेश को तथा 115 मेगावाट बुंदेलखंड क्षेत्र हेतु मध्यप्रदेश को आवंटित की गई है।

(7)बाण सागर ताप विद्युत परियोजना केस–2

बाणसागर ताप विद्युत परियोजना (2 गुणित 800) मेगावाट का क्रियान्वयन प्रतिस्पर्धात्मक निविदा पद्धति के केस –2 के अंतर्गत विशेष प्रयोजन उपक्रम (एस.पी.व्ही.) के तहत एम.पी.पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड का गठन दिनांक 9 जून 2011 को किया जा चुका है। इस कंपनी द्वारा डेवलपर के चयन पूर्व कोल लिंकेज, जल उपलब्धता, पर्यावरण स्वीकृति, स्थल चयन एवं भूमि अधिग्रहण इत्यादि के कार्य किये जा रहे है।

उपरोक्त ताप विद्युत परियोजना लगाने हेतु डेवलपर का चयन आर एफ क्यू स्टेज एवं आर एफ पी स्टेज वाली द्विस्तरीय टेरिफ बेस्ड काम्पीटिटिव बिडिंग प्रोसेस द्वारा किया जावेगा। बाण सागर ताप विद्युत परियोजना हेतु कोल लिंकेज की व्यवस्था के लिए मध्यप्रदेश खनिज निगम को आवंटित मोरगा –। आरक्षित किया गया है। परियोजना हेतु जल का आवंटन कुछ शर्तो के साथ बाण सागर जलाशय से किया जायेगा। परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्णय अनुसार तीन वैकल्पिक स्तरों की चयन प्रक्रिया जारी है।

(8)शहपुरा ताप विद्युत परियोजना (2गुणित 660 मेगावाट)

राज्य शासन के पुनरीक्षित निर्णय अनुसार शहपुरा ताप विद्युत परियोजना का विकास ट्रेडको के विशेष प्रमांणन उपकम (एस.पी.व्ही.) शहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक निविदा पद्धति केस –2 के तहत दीर्घावधि विद्युत क्रय करने हेतु निविदा आमंत्रण एवं प्रस्तावित शहपुरा ताप विद्युत परियोजना जिला जबलपुर से संबंधित प्रारंभिक कार्य किया जा रहा था।

शहपुरा ताप विद्युत कंपनी लिमिटेड की 19 वीं बोर्ड मीटिंग में लिये गये निर्णय के अनुसार शहपुरा ताप विद्युत परियोजना से संबंधित प्रकरण का परियोजना परीक्षण समिति के पास प्रेषित करने हेतु ऊर्जा विभाग से निवेदन किया गया है। परियोजना हेतु भू–अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की जानी है। परियोजना के लिये आवश्यक धनराशि रूपये 100 करोड़ का प्रावधान वर्ष 2011–12 के बजट में करना होगा।

(iv) वितरण के क्षेत्र में विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रमुख उपलब्धियाँ

ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य की तीन वितरण कंपनियाँ यथा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कपनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कपनी लिमिटेड कार्य कर रही है। वितरण कंपनियो द्वारा संचालित फीडर विभक्तिकरण योजना नवीन पंप कनेक्शन अनुदान योजना, उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के उन्नयन हेतु, प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना, आदिवासी उप योजना, अनुसूचित जाति उप योजना, जे.बी.आई.सी योजना, ए.डी.बी., राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं आर.–ए.पी.डी.आर.पी.योजना आदि के तहत तीनो वितरण कंपनियों द्वारा किए गये विभिन्न कार्यों का विवरण निम्नानुसार है–

(1) प्रणाली सुदृढीकरण

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में दिनांक 30.10.2011 तक 33/11 के.व्ही. का एक उपकेन्द्र, 2 अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर ,19 पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्वि, 200.5 किमी. 33 के. व्ही की लाईन, 483.12 किमी. 11 के.व्ही लाईन के कार्य किए गये हैं।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में राशि रूपये 42.37 करोड़ के व्यय से प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना हेतु 33/11 के.व्ही. के 8 नये उपकेन्द्र, 2 अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर, 13 पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि, 33 के.व्ही. लाईन, 47.95 कि.मी., 11 के.व्ही. 122.78 कि.मी., वितरण ट्रांसफार्मर 179, निम्न दाब लाईन 6 कि.मी. के कार्य पूर्ण किये गये। वित्तीय वर्ष 2011–12 में सितम्बर 2011 तक 33/11 के.व्ही. के 3 नये उपकेन्द्र, 6 अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर , 2 पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्वि, 33 के. व्ही लाईन 35.34 किमी., 11 के.व्ही 193.17 किमी., वितरण ट्रासंसफार्मर 284 , निम्न दाब लाईन 28.03 किमी. के कार्य रूपये 30.13 करोड के व्यय से पूर्ण किए जा चुके हैं।

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सामान्य विकास योजना अन्तर्गत विद्युत संचालन एवं वितरण व्यवस्था का सुद्ढ़ीकरण हेतु वर्ष 2011–12 में दिनांक 31.10.11 तक रुपये 16.62 करोड़ का व्यय कर 39 कि.मी. 33 के.व्ही. लाईन, 21.70 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईनो के निर्माण के साथ 26.00 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन की रिकण्डक्टींग के साथ–साथ 33/11 के.व्ही. के 6 नये उपकेन्द्र, 4 अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर, 3 पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्वि और 163 नये वितरण ट्रांसफार्मरों के कार्य किये गये। जिससे उपभोक्ताओं को लाभ पहुचने की आशा है।

(2). आदिवासी उप योजना

वर्ष 2011–12 में अक्टूबर 2011 तक मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत 33/11 के.व्ही. के पांच उपकेन्द्र, 7 अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर, 10 पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्वि, 147.2 किमी. 33 के. व्ही की लाईन, 11 के.व्ही 16.2 किमी. के कार्य किए गये हैं।

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वर्ष 2010–11 में 33/11 के.व्ही. नये उपकेन्द्र 7, अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर 2, पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्वि 4, 33 के.व्ही. लाईन 183.65 किमी., 11 के.व्ही 65.00 किमी., वितरण ट्रासंसफार्मर 65, निम्न दाब लाईन 15.00 किमी., के कार्य पूर्ण किए गए हैं, जिनकी कुल लागत राशि रूपये 32.86 करोड़ हैं। इसी प्रकार वर्ष 2011–12 में अक्टूबर 2011 तक 33/11 के.व्ही. नये उपकेन्द्र 4, अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर 1, पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्वि 3, 33 के.व्ही. लाईन 62.15 किमी., 11 के.व्ही 46.53 किमी., वितरण ट्रासंसफार्मर 50, निम्न दाब लाईन 6.09 किमी., रूपये 8.60 करोड़ के कार्य पूर्ण किए गए हैं।

आदिवासी उप योजना के तहत वर्ष 2010–11 में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अन्तर्गत रुपये 36 करोड का व्यय कर 33/11 के.व्ही. का एक नया उपकेन्द्र, 8 नग अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर,

9 पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्वि , 33 के. व्ही लाईन 60 किमी., 11 के.व्ही 118.59 किमी., तथा वर्ष 2011–12 में रुपये 9.19 करोड के व्यय से 31 अक्टूबर, 2011 तक एक 33/11 के.व्ही. का एक नया उपकेन्द्र, 2 अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर, 7 पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्वि, 33 के. व्ही लाईन 2.00 किमी., 11 के.व्ही 11.55 किमी., के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

(3). अनुसूचित जाति उप योजना

अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वर्ष 2011–12 में अक्टूबर 2011 तक 33/11 के.व्ही. के सात उपकेन्द्र, 9 अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर ,19 पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्वि, 33 के. व्ही लाईन 176.3 किमी., 11 के.व्ही 16.2 किमी. लाईन के कार्य किए जा चुके हैं।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इस योजना के तहत वर्ष 2010–11 में 33/11 के.व्ही. नये उपकेन्द्र 8, अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर 5, पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्वि 19, 33 के. व्ही लाईन 112.40 किमी., 11 के.व्ही. लाईन 159.10 किमी., वितरण ट्रासंसफार्मर 331, निम्न दाब लाईन 52.70 किमी., के कार्य पूर्ण किए गए है, जिनकी कुल लागत राशि रूपये 64.14 करोड हैं। इसी प्रकार वर्ष 2011–12 में सितम्बर 2011 तक अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर 1, पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्वि 11, 33 के. व्ही लाईन 10.00 किमी., 11 के.व्ही 147.08 किमी., वितरण ट्रासंसफार्मर 387, निम्न दाब लाईन 59.61 किमी., कुल रूपये 14.15 करोड़ लागत के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना में वर्ष 2011–12 में 31 अक्टूबर, 2011 तक 33/11 के.व्ही. का एक उपकेन्द्र, 4 अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर , 30 पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्वि, 33 के. व्ही की 33 कि.मी. लाईन, 1.10 किमी., 11 के.व्ही के कार्य रुपये 17.72 का व्यय कर पूर्ण किए जा चुके हैं।

(4). नवीन कृषि पंप योजना (किसान महापंचायत एवं अनुदान योजना)

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नवीन कृषि पंप योजना (किसान महापंचायत एवं अनुदान योजना) के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में 11 के.व्ही 621.25 किमी., वितरण ट्रासंसफार्मर 2540, निम्न दाब लाईन 419. 28 किमी., के कार्य पूर्ण किए गए है, जिनकी कुल लागत राशि रूपये 46.82 करोड हैं। इसी प्रकार वर्ष 2011–12 में अक्टूबर 2011 तक 11 के.व्ही 259.06 किमी., 891 वितरण ट्रासंसफार्मर ,130.73 कि.मी. निम्न दाब लाईन के कार्य रूपये 16.64 करोड़ व्यय कर पूर्ण किए जा चुके हैं।

दिनांक 31.03.2011 की स्थिति में कंपनी के क्षेत्रान्तर्गत कुल 9356 पंपो का तथा वर्ष 2011–12 में दिनांक 31.10.2011 तक 11239 पम्पो का ऊर्जीकरण किया गया है।

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इस योजना में वर्ष 2011–12 में 31 अक्टूबर, 2011 तक 11 के.व्ही.लाईन की 243 कि.मी. तथा 208 किमी. निम्न दाब लाईन के कार्य रुपये 11.51 का व्यय कर पूर्ण किए जा चुके हैं।

(5). नवीन पंप कनेक्शन अनुदान योजना

कृषको को कृषि हेतु नवीन पंप कनेक्शन प्रदान करने की योजनान्तर्गत दिनांक 15 अक्टूबर, 2011 की स्थिति में तीनों वितरण कंपनियों द्वारा कुल 5132 पंप कनेक्शनों का ऊर्जीकरण किया गया है। कंपनीवार जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	कंपनी का नाम	31.3.2010 की स्थिति में	31.10.2011 की स्थिति में
1	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	1816	59
2	म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	1022	162
3	म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	1830	263
	कुल	**4668**	**464**

(6) फीडर विभक्तिकरण योजना–

1.परियोजना का उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद, निरन्तर विद्युत प्रदाय एवं कृषि उपयोग हेतु उपलब्ध भूजल की समुचित मात्रा में उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए यह योजना लागू की गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक व आर्थिक उत्थान संयुक्त रूप से संभव हो सके।

2.परियोजना से लाभ –

i. ग्रामीण बसाहटों में प्रारंभ में तहसीलों के समकक्ष लगातार विद्युत प्रदाय।
ii. वितरण हानियों में कमी।
iii. औद्योगिक विकास में वृद्धि।
iv. चिकित्सीय संसाधनों में वृद्धि।
v. संचार कांति से शिक्षा का प्रचार–प्रसार।
vi. कम्प्यूटर इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि।
vii. कृषि कार्यो हेतु उच्च गुणवत्ता का विद्युत प्रदाय।

3.परियोजना का स्वरूप –

परियोजना में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रांतर्गत, प्रथम चरण में 9 जिलों (बालाघाट, जबलपुर, कटनी, शहडोल, रीवा, सीधी एवं सिंगरौली) में 708 नग, 11 के.व्ही. फीडरों का विभक्तिकरण किया जावेगा, जिससे 8335 ग्राम लाभांवित होंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 17,700 किलोमीटर 11 के.व्ही. लाईन, 15,542 नग, 25 के.व्ही.ए. के वितरण ट्रांसफार्मर, विद्युत चोरी रोकने हेतु 14,367.00 किलोमीटर ए.बी. केबिल, का कार्य सम्पन्न किया जावेगा। प्रथम चरण की कुल लागत रूपये 766 करोड है ।

योजना के द्वितीय चरण में 8 जिलों (छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, पन्ना, छतरपुंर एवं टीकमगढ) में 937 नग, 11 के.व्ही. फीडरों का विभक्तिकरण किया जावेगा, जिससे 7525 ग्राम लाभांवित होंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 23,425 किलोमीटर 11 के.व्ही. लाईन 15050 नग 25 के.व्ही.ए. के वितरण ट्रांसफार्मर, 13094 किलोमीटर ए.बी. केबिल, का कार्य सम्पन्न किया जावेगा। द्वितीय चरण की कुल लागत रूपये 909 करोड़ है।

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा फीडर विभक्तिकरण योजना में 16 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू बसाहटों को 24 घंटे तथा कृषि हेतु 8 घंटे सतत विद्युत प्रदाय दिये जाने हेतु फीडर विभक्तिकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। यह कार्य दो चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण में 7 जिले भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा तथा बैतूल तथा द्वितीय चरण में शेष 9 जिले राजगढ़, गुना, अशोकनगर, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना एवं भिण्ड सम्मिलित किये गये हैं।

सभी 16 जिलों में योजना कियान्वयन हेतु कंपनी द्वारा कान्ट्रेक्ट अवार्ड जारी किये जा कर कान्ट्रेक्ट फर्म के द्वारा फीडर विभक्तिकरण के कार्य प्रारंभ कर दिये गये हैं। प्रथम चरण में भोपाल, रायसेन, हरदा, होशंगाबाद, सीहोर, विदिशा एवं बैतूल जिलों के लिए टर्न–की आधार पर राशि रूपये 427.13 करोड़ के कार्यादेश जारी किए गए है। द्वितीय चरण में राजगढ़, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, भिण्ड एवं मुरैना जिलों के लिए राशि रूपये 683.40 करोड़ के कार्यादेश जारी किए गए है। मेसर्स फीडबेक वेन्चर्स प्रायवेट लिमिटेड, गुड़गांव तथा मेसर्स आई.सी.टी. लिमिटेड, नई दिल्ली को क्रमशः योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु प्रोजेक्ट मेनेजमेंट कंसलटेंट (पी.एम.सी.) नियुक्त किया गया है।

फीडर विभक्तिकरण प्रथम चरण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली से रूपये 365 करोड़ के ऋण अनुबंध किये गये है। उक्त ऋण पर म.प्र. शासन द्वारा 30 प्रतिशत शासन की गारंटी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को दी है।

फीडर विभक्तिकरण के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु एशियन विकास बैंक से लगभग 558 करोड़ रूपये स्वीकृत कर ऋण अनुबंध किये गये है तथा उक्त चरण के क्रियान्वयन हेतु म.प्र.शासन द्वारा वर्ष 2011–12 व 2012–13 में 143 करोड़ रूपये का प्रावधान बजट में किया गया है।

कंपनी अंतर्गत इस योजना में लगभग 1409 फीडरों का विभक्तिकरण किया जाना है जिसके तहत 17571 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन तथा 25 के.व्ही.ए. के 32553 वितरण ट्रांसफार्मर एवं विद्युत चोरी रोकने हेतु 15000 कि.मी. एल.टी. लाईन के नंगे तारों के ए.बी. केविल में व 6438 कि.मी. एल.टी.लाईन को उच्चदाब लाईन में बदलने का कार्य सम्मिलित है। इस योजना के लिए 1132 करोड़ रुपये का व्यय होना अनुमानित है एवं, उपरोक्त कार्य दिसम्बर 2012 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्तमान में उक्त योजना अंतर्गत जिला होशंगाबाद में एक फीडर का कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त फीडर पर म.प्र.शासन के निर्देशानुसार 16 घंटे विद्युत प्रदाय प्रारंभ किया जा चुका है तथा 30 नवम्बर–2011 तक लगभग 11 फीडर पूर्ण होने की संभावना है।

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सभी 14 जिलों में फीडर विभक्तिकरण योजना को कियान्वित किया जा रहा हैं। योजना के प्रथम चरण में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली से स्वीकृत रूपये 528.26 करोड़ के ऋण से इंदौर संभाग के अन्तर्गत 6 जिलों इंदौर, खण्डवा, बुरहानपुर, धार, बड़वानी एवं खरगोन

तथा उज्जैन संभाग के एक जिले रतलाम और योजना के द्वितीय चरण में इंदौर संभाग के दो जिलों झाबुआ एवं अलीराजपुर तथा उज्जैन संभाग के अन्तर्गत आने वाले पॉच जिलों उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर एवं नीमच के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से रूपये 644.18 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा द्वितीय चरण के लिए रूपये 485 करोड़ का ब्याजमुक्त ऋण भी विद्युत वितरण कंपनियों के लिए स्वीकृत किया गया है, जिसमें से पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु रूपये 143 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

योजना के कियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की जाकर समस्त जिलों के लिए अवार्ड जारी किए जा चुके हैं तथा योजना के अंतर्गत विद्युत सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने हेतु एक स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त की गई है। योजनांतर्गत माह नवंबर 2011 तक कुल प्रस्तावित 2191 फीडर एवं लाभान्वित होने वाले 10893 ग्रामों के विरूध्द 164 फीडरों का विभक्तिकरण किया जाकर 484 ग्रामों को इस योजना का लाभ दिया गया है। इन फीडरों पर 15 दिसम्बर 2011 से 16 घंटे विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा फीडर विभक्तिकरण के कार्यो की समीक्षा के लिये कंपनी के मुख्यालय पर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाकर प्रत्येक जिले के लिए नोडल आफिसर नियुक्त किये गये हैं तथा इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण कार्य 31 दिसंबर 2012 तक किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस योजना के पूर्ण होने पर जनवरी, 2013 से प्रदेश के सभी घरों को 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जाना संभव हो सकेगा, जिससे गॉवों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा एवं विद्युत चोरी पर नियंत्रण के साथ–साथ ग्रामीण कुटीर उद्योगों को लगातार विद्युत उपलब्ध होने से हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शीर्ष मांग अवधि में विद्युत आपूर्ति एवं मांग के अंतर में कमी आने से विद्युत क्रय करने के बिल में कमी आने के कारण वितरण कंपनियों पर वित्तीय भार में कमी आयेगी तथा राजस्व में वृद्धि होगी।

वितरण कंपनियों द्वारा दिनांक 30.11.2011 तक कुल 383 फीडरों का विभक्तिकरण किया है। कंपनीवार जानकारी निम्नानुसार है –

क.	कंपनी का नाम	30.11.2011 की स्थिति में
1	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	157
2	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	62
3	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	164
	कुल	**383**

(8) आर–एपीडीआरपी योजना

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में आर–एपीडीआरपी योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित नोडल एजेंसी पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पी.एफ.सी.) द्वारा 30 हजार से अधिक आबादी वाले चयनित शहरों में जहां एटीएण्डसी हानियों का स्तर 15 प्रतिशत से अधिक है, में सुधार हेतु विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कपंनी के अन्तर्गत आर–एपीडीआरपी योजना का क्रियान्वयन पार्ट ए एवं पार्ट बी के तहत किया जा रहा है। पार्ट ए–में सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से बेस लाइन डाटा को स्थापित करने एवं इनर्जी अकाउंटिंग , कन्ज्यूमर इन्डेक्सिंग, जी.आई.एस.मेपिंग आदि के द्वारा उपभोक्ता को बेहतर सेवा प्रदान करना है । इस कार्य के लिए मेसर्स टी.सी.एस. लिमिटेड को अनुबंधित किया गया है । योजना के अंतर्गत जबलपुर में एक डाटा सेंटर बनाया गया है जो कि तीनों वितरण कंपनियों के डाटा के संकलन का कार्य करेगा । इस परियोजना की लागत रूपये 146.39 करोड है, जिसमें अक्टूबर 2011 तक रूपये 20.84 करोड की राशि व्यय की जा चुकी है।

पार्ट बी–के माध्यम से 27 शहरों में विद्युत वितरण प्रणाली का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है । पार्ट बी के कार्यो के कियान्वयन हेतु 23 शहरों के लिए कार्यादेश विभिन्न टर्न–की ठेकेदारों को जारी किए जा चुके हैं। इस परियोजना की लागत रूपये 653 करोड है जिसमें अक्टूबर 2011 तक 53.49 करोड की राशि व्यय की जा चुकी हैं ।

स्काडाः जबलपुर शहर में विद्युत आपूर्ति पर बेहतर नियंत्रण हेतु स्काडा तकनीक के उपयोग हेतु कार्य किया जाना प्रस्तावित है । इस कार्य हेतु टर्न की आधार पर कान्ट्रेक्ट अवार्ड जारी करने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कपंनी के अन्तर्गत आने वाले चयनित 31 शहरों में एटीएण्डसी हानियों का बेस लाइन डाटा टी.पी.आइ.ई.ए.–ईए, मेसर्स वेबकास (पी.एफ.सी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी) द्वारा अभिप्रमाणित कर लिया गया है। इन 31 चयनित शहरों में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण कार्यो की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए पीएफसी ने 833.39 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है जिसमें भोपाल और ग्वालियर शहरों में एस.सी.ए.डी.ए. में प्रणाली, भोपाल में उपकेन्द्रों के निर्माण का पैकेज तथा भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड नगरों में मोबाइल सर्विस के लिए 55.36 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 208. 36 करोड़ रुपये की 25 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा पीएफसी के ऋण के माध्यम से प्रदान की जाएगी और शेष 625.04 की 75 प्रतिशत राशि की व्यवस्था ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से पूरक ऋण के द्वारा की जाएगी। अब तक भारत सरकार ने पीएफसी के माध्यम से 125 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है जबकि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 625.025 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य चिन्हित नगरों में बिजली कटौती समाप्त करके 11 केवी फीडरों पर एटीएण्डसी हानियों को 9 प्रतिशत तक कम करना, वोल्टेज में सुधार करना और लाइनों की ओवरलोडिंग में कमी लाना, वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करना, आसान एवं सम्पूर्ण रखरखाव प्रबंधन, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी करके विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाना, इनपुट को कम करके बेहतर राजस्व दक्षता हासिल करना। योजना में निर्धारित कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मैदानी सर्वे, आपूर्ति, सभी निर्माण कार्यो के सिविल/संरचनात्मक कार्य, स्थल परीक्षण, निर्माण कार्य के लिए सभी सामग्रियों तथा 33/11 केव्ही उपकेन्द्रों की कमीशनिंग, विद्युत उपकेन्द्रों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करने के अलावा पुरानी लाइनों के स्थान पर नयी लाइने बिछाना। लोड के अनुसार फीडरों का विभक्तिकरण तथा फीडरों को पृथक करना। भार संतुलन एचवीडीएस (11 केवी), सघन क्षेत्रों में एरियल बन्च्ड कंडक्टरिंग, खराब/विद्युत यांत्रिकीय बिजली मीटरों का छेड़छाड़ से पूरी तरह सुरक्षित स्टेटिक इलेक्ट्रानिक मीटरों द्वारा प्रतिस्थापन आदि। इसके अतिरिक्त 11 केव्ही और निम्नदाब स्तर पर केपेसिटर की स्थापना और 11 केव्ही फीडरों की संचालन स्वीकार्यता हेतु पांच साल के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध।

27 शहरों में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं दूसरे कार्यो के लिये उपकेन्द्रों के निर्माण का पैकेज और मोबाइल सर्विसेज का 693.22 करोड़ रूपये में 11 लाट का कार्य टर्नकी आधार पर मैसर्स मोंटेकार्लो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, अहमदाबाद, मैसर्स ए 2 जेड, एमईएस, गुड़गांव, मैसर्स शेल्टेक आटोमेशन, सिकंदराबाद, मैसर्स जीईटी पॉवर चेन्नई और मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस, मुंबई को सौंपा गया है। चार नगरों रायसेन, बेगमगंज, बैतूल व सारणी में 19.17 करोड़ रुपये से कंपनी द्वारा स्वयं उक्त सभी कार्य कराए जा रहे हैं। 30 सितंबर 2011 की स्थिति में 122 करोड़ रुपये के कार्य हुए हैं। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, रायसेन, बेगमगंज ,विदिशा ,बासोदा, सिरोंज, सीहोर, आष्टा, राजगढ, ब्यावरा, सारंगपुर, बैतूल, सारणी, होशंगाबाद, हरदा, पिपरिया,इटारसी, ग्वालियर, डबरा, दतिया, गुना, अशोकनगर, राघोगढ़, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, अम्बाह, पोरसा, जौरा सबलगढ, भिंड एवं गोहद शहरों में राशि रूपये 711.85 करोड़ के कार्यो हेतु कार्यादेश जारी किए गए है।

SCADA – आरएपीडीआरपी (भाग "ए एंव बी") के अंतर्गत भोपाल और ग्वालियर शहरों में एस.सी.ए.डी.ए. (सुपरवायजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन) प्रणाली भी लागू की जाएगी। इस प्रणाली का उददेश्य उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के व्यवधानों को न्यूनतम अवधि में दुरूस्त कर गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपभोक्ताओं को सुलभ कराना है। एससीएडीए प्रणाली लागू करने के लिये टेन्डर आमंत्रित किये गये है एंव शीघ्र ही एल–1 बिडर का मूल्यांकन कर एवार्ड जारी किये जायेंगे।

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कपंनी के अन्तर्गत कुल लागत रुपये 49.55 करोड की आर–एपीडीआरपी पार्ट ए योजना में 24 शहरों में इन्फारमेशन एवं टेक्नोलाजी के माध्यम से विद्युत संचालन एवं वितरण व्यवस्था का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना है। वर्ष 2010–11 में 0.070 करोड एवं वर्ष 2011–12 में 5.346 करोड के कार्य किये गये हैं। तकनीकी एवं वाणिज्य हानि, कम करने के साथ ही उपभोक्ता को बेहतर सुविधा प्रदान करने संबधी सुधार कार्य रुपये 481.8 करोड की आर–एपीडीआरपी पार्ट बी के अन्तर्गत किये जाने है। वर्ष 2011–12 में रुपये 15.75 करोड व्यय कर 6 कि.मी. 33 केव्ही लाईन एवं 40 कि.मी. 11 केव्ही लाईन का विस्तार तथा 11 कि.मी. एल.टी.लाईन तथा 2 अतिरिक्त 33/11 केव्ही उपकेन्द एवं दो 33/11 केव्ही उपकेन्द्रों की क्षमतावद्दि के साथ 121 नये 11/.04 केव्ही उपकेन्द्रों वितरण ट्रांसफार्मरों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

(7) ए.डी.बी.

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत एडीबी योजना में एचवीडीएस. फीडरों के विभक्तिकरण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों में नवीनीकरण करने हेतु तीन भागों में एडीबी की स्वीकृति वर्ष 2007–08 में

प्राप्त हुई । प्रथम चरण में गाडरवारा संभाग जिला नरसिंहपुर, सतना संभाग जिला सतना, पृथ्वीपुर संभाग जिला टीकमगढ, दमोह दक्षिण संभाग जिला दमोह एवं रीवा संचारण संधारण संभाग जिला रीवा में एचवीडीएस तथा कंपनी क्षेत्रांतर्गत निम्नदाब के 10 एच.पी. से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं की रिमोट मीटरिंग कार्य हेतु 294.31 करोड स्वीकृत किए गए। द्वितीय चरण में सागर जिले के अंतर्गत रहली संभाग एवं सागर संचारण संधारण संभाग के अंतर्गत 11 के.व्ही. फीडर विभक्तिकरण एवं जबलपुर, सागर तथा सतना जिला मुख्यालय के चुने हुए पोटेंशियल फीडरों के अंतर्गत स्थापित वितरण ट्रांसफार्मर पर वितरण हानि 6 प्रतिशत तक लाए जाने हेतु तथा कंपनी क्षेत्रांतर्गत 33/11 के.व्ही. के 207 पुराने उपकेन्द्रों के नवीनीकरण हेतु रूपये 142.36 करोड (एडीबी काउंटर पार्ट) स्वीकृत किए गए । तृतीय चरण में सागर जिले के बंडा एवं बीना संभाग के अंतर्गत 11 के.व्ही. फीडर एवं नरसिंहपुर संभाग, जबलपुर संचारण संधारण संभाग, सिहोरा संभाग, रीवा उत्तर एवं दक्षिण संभाग, तथा मैहर संभाग में एचवीडीएस कार्यो हेतु रूपये 368.84 करोड (एडीबी काउंटर पार्ट) स्वीकृत किए गए । इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2009–10 में रूपये 110.91 करोड, वर्ष 2010–11 में रूपये 100.35 करोड तथा वर्ष 2011–12 में अक्टूबर 11 तक 91.40 करोड (एडीबी काउंटर पार्ट)के कार्य पूर्ण किए जा चुके है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा 16 जिलों में ए.डी.बी.–II योजना में ट्रान्च–IV, V एवं VI के प्रस्तावित कार्यो की प्रगति निम्नानुसार है।

(अ) 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों में केपेसीटर लगाने का कार्य – कम्पनी क्षेत्र के अंतर्गत 588, 1200 के.व्ही. ए.आर. क्रेपेसीटर बैंक लगाने का कार्य लागत रूपये 49.85 करोड़ प्रस्तावित था। यह कार्य वर्ष 09–10 (जनवरी 2010) में पूर्ण किया जा चुका है। इस कार्य की भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति रूपये 35.71 करोड़ है।

(ब) एच.व्ही.डी.एस. का कार्य – यह कार्य भोपाल, ग्वालियर, मुरैना व अम्बाह शहर में प्रस्तावित है जिसकी जानकारी निम्नानुसार है–

भोपाल शहर में रूपये 16.43 करोड़ की लागत से प्रस्तावित एच.व्ही.डी.एस. कार्य माह दिसम्बर 2010 में पूर्ण किया जा चुका है। जिसमें 46.11 कि.मी एल.टी. से एच.टी. लाईन एवं 1427 न. ट्रान्सफार्मर लगाने का कार्य कार्य किया गया है । इस कार्य की वित्तीय प्रगति रूपये12.29 करोड़ है। वर्षवार प्रगति निम्नानुसार है–

वर्ष	ट्रांसफार्मर स्थापना का कार्य 16/25 के.व्ही.	निम्नदाब लाइन से उच्चदाब लाइन परिवर्तन का कार्य (कि.मी.)
09–10	861	29.17
10–11	566	16.94
योग	**1427**	**46.11**

ग्वालियर शहर में रूपये 9.60 करोड़ की लागत से प्रस्तावित एच.व्ही.डी.एस. कार्य माह नवम्बर में पूर्ण किया जा चुका है। जिसमें 16.75 कि.मी एल.टी. से एच.टी. लाईन एवं 762 न. ट्रान्सफार्मर लगाने का कार्य किया गया है। इस कार्य की वित्तीय प्रगति रुपये 7.30 करोड़ है। वर्षवार प्रगति निम्नानुसार है–

वर्ष	ट्रांसफार्मर स्थापना का कार्य 16/25 के.व्ही.	निम्नदाब लाइन से उच्चदाब लाइन परिवर्तन का कार्य (कि.मी.)
2009–10	669	14.69
2010–11	93	2.06
योग	**762**	**16.75**

मुरैना एवं अम्बाह शहर में रूपये 18.68 करोड़ की लागत से एच.व्ही.डी.एस. का कार्य प्रस्तावित है जिसमें 51.92 कि.मी एल.टी. से एच.टी. लाईन एवं 1439 न. ट्रान्सफार्मर लगाया जाना है, दिनांक– 31.1.11 तक 32.71 कि.मी एल.टी.से एच.टी. लाइन एवं 1217 न. ट्रान्सफ़ार्मर लगाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । इस कार्य की वित्तीय प्रगति रूपये 12.30 करोड़ है। इस कार्य के माह मार्च 2011 तक पूर्ण होने की सम्भावना है । वर्षवार प्रगति निम्नानुसार है–

वर्ष	ट्रांसफार्मर स्थापना का कार्य 16/25 के.व्ही.	निम्नदाब लाइन से उच्चदाब लाइन परिवर्तन का कार्य (कि.मी.)
2009–10	670	16.90

2010–11	547	15.81
योग	**1217**	**32.71**

(स) रिमोट मीटरिंग का कार्य – मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले भोपाल क्षेत्र एवं ग्वालियर क्षेत्र में रिमोट मीटरिंग का कार्य क्रमशः राशि रूपये 5.17 करोड़ एवं रूपये 4.39 करोड की लागत से किये जाने है। भोपाल क्षेत्र में 4563 न. निम्न दाब उपभोक्ताओं (हाई व्लयू कन्यूमर) के परिसर में रिमोटमीटरिंग लगाने का कार्य प्रस्तावित है। वर्ष 10–11 में दिनांक– 31.01.11 तक 708 उपभोक्ताओं के परिसर में मोडम लगाने का कार्य किया जा चुका है । इस कार्य की वित्तीय प्रगति 0.84 करोड़ है । प्रस्तावित कार्य माह मार्च–अप्रैल तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इसी प्रकार ग्वालियर क्षेत्र में 4439 न. निम्न दाब उपभोक्ताओं (हाई वेल्यू कनज्यूमर) के परिसर में रिमोट मीटरिंग लगाने का कार्य प्रस्तावित है। वर्ष 10–11 में दिनांक– 31.01.11 तक 1020 उपभोक्ताओं के परिसर में मोडम लगाने का कार्य किया जा चुका है । इस कार्य की वित्तीय प्रगति रूपये 1.17 करोड़ है, प्रस्तावित सम्पूर्ण कार्य माह मार्च–अप्रैल तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

ए.डी.बी. ट्रेन्च–V

(अ) एच.व्ही.डी.एस. का कार्य – यह कार्य मध्य क्षेत्र के बरेली, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, इटारसी एंव पिपरिया संभाग में प्रस्तावित है । इस कार्य में इन सभी संभाग के 82, 11 के.व्ही. फीडरों के 737 गॉव में घरेलु कनेक्शन हेतु अलग से फीडर सेपरेशन कार्य, के साथ–साथ इन फीडरों पर आने वाले पम्प कनेक्शनों, को एच.व्ही.डी.एस. सिस्टम द्वारा विद्युत प्रदाय करने का कार्य किया जाना है। सभी 6 संभाग में कार्य प्रारम्भ हो चुका है जिसे माह अक्टूबर 2011 तक पूर्ण किया जावेगा। वर्ष 10–11 में दिनांक– 31.01.11 तक इन कार्यों की वित्तीय प्रगति रूपये 33.98 करोड़ है।

(ब) 33/11 के.व्ही उपकेन्द्रों का रिनोवेशन कार्य – यह कार्य सम्पूर्ण कम्पनी क्षेत्र के 16 जिलों में किया जा रहा है । इस योजना के तहत् 444 उपकेन्द्रों में, 590, 33 के.व्ही. की व्ही.सी.बी. एवं 1243, 11 के.व्ही. की लगाने के साथ–साथ कन्ट्रोल रूम के रख–रखाव का कार्य किया जा रहा है। जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत प्रदाय किया जा सकेगा। 294 उपकेन्द्रों में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है । सम्पूर्ण कार्य माह अक्टूबर 2011 तक पूर्ण किया जावेगा। वर्ष 10–11 में दिनांक– 31.01.11 तक इस कार्यों की वित्तिय प्रगति रूपये 20.78 करोड़ है ।

ए.डी.बी. ट्रेन्च–VI

ट्रेन्च–VI के अंतर्गत 132 न. 33/11 के.व्ही. उपकेंद्रों के निर्माण, 161 छोटे शहरों में ऊर्जा हानि कम करने का कार्य, 33/11 उपकेंद्रों में 1500 के.व्ही.ए.आर. ऑटोमेटिक कैपेसिटर बैंक व कंपनी क्षेत्र 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों में एनर्जी ऑडिट हेतु एम.ई., मोडम, मीटर लगाने का कार्य सम्मिलित है। उक्त सभी कार्यो की लागत लगभग 361.79 करोड़ है। नये 33/11 के.व्ही. उपकेंद्रों के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं व कार्य प्रगति पर है। छोटे शहरों में ऊर्जा हानि कम करने व 33/11 के.व्ही. उपकेंद्रों में 1500 के.व्ही.ए.आर. के कैपेसिटर बैंक लगाने के कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है व मूल्यांकन किया जा रहा है। 33/11 के. व्ही. उपकेंद्रों में एनर्जी ऑडिट हेतु एम.ई. मीटर व डी.सी.यू. लगाने हेतु निविदा शीघ्र ही आमंत्रित की जा रही है।

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा .एडीबी– द्वितीय ट्रेंच 4 योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007 में स्वीकृत हुई योजना की कुल लागत 283.22 करोड है। योजना अंतर्गत इन्दौर उज्जैन क्षेत्र में नवीन उपकेन्द्रों की स्थापना वर्तमान मे स्थित उपकेन्द्रों की क्षमतावद्वि के साथ–साथ उनका रिनोवेशन एवं आधुनिकीकरण के कार्य प्रावधानित है साथ ही खण्डवा एवं बुरहानपुर में एलवीडीएस से एचवीडीएस के कार्य एवं कंपनी क्षेत्र मे सेपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर लोड एवं प्रणाली सुदृढीकरण के कार्य किये जाने है। एडीबी– द्वितीय (ट्रेंच –5) योजना मे नवीन विद्युत उपकेन्द्रो की स्थापना, नई 33 केव्ही लाईन निर्माण एवं फीडर विभक्तिकरण के कार्य किये जाने है। योजना की कुल लागत 299.69 करोड है।

योजनांतर्गत खण्डवा एवं बुरहानपुर में एलवीडीएस से एचवीडीएस के कार्य एवं कंपनी क्षेत्र में सेपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर लोड एवं प्रणाली सुदृढ़ीकरण के कार्य किये जाने है। योजना अंतर्गत वर्ष 2010–11 में 58.22 कि.मी. 33 के.व्ही.लाईन विस्तार 747.99 कि.मी.11 के.व्ही.लाईन विस्तार (विभक्तिकरण सहित) तथा 12 नग नये 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र 37 नग अतिरिक्त 33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र क्षमतावृद्धि एवं 2796 नग नये 11/04 के.व्ही. उपकेन्द्र वितरण ट्रांसफार्मर के निर्माण कार्य पूर्ण कर 147.22 करोड़ व्यय किये गये तथा वर्ष वर्ष 2011–12 में

(31.08.2011 तक) 443 कि.मी. 11 के.व्ही.लाईन विस्तार (विभक्तिकरण सहित) एवं 11/04 के.व्ही.उपकेन्द्र वितरण ट्रांसफार्मर 1667 के निर्माण कार्य पूर्ण कर 27.67 करोड़ व्यय किये गये।

एडीबी– द्वितीय (ट्रेंच –5) योजना मे नवीन विद्युत उपकेन्द्रो की स्थापना, नई 33 केव्ही लाईन निर्माण एवं फीडर विभक्तिकरण के कार्य किये जाने है। योजना की कुल लागत 299.69 करोड है। योजना अंतर्गत वर्ष 2010–11 में रुपये 14.53 करोड लागत से नौ 33/11 केव्ही उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्वि, 162 कि.मी. 11 केव्ही लाईन विस्तार तथा 102 नये 11/.04 केव्ही उपकेन्द्रों वितरण ट्रांसफार्मर का निर्माण कार्य किये गये।

(10)राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना –

दसवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्रान्तर्गत के आने वाले दमोह, सिवनी, छिंदवाड़ा तथा जबलपुर जिलों में सभी अविद्युतीकृत ग्रामों तथा 300 से अधिक आबादी वाले सभी विद्युतीकृत ग्रामों के अविद्युतीकृत क्षेत्रों/मजरों/टोलों/बसाहटों में सघन विद्युतीकरण हेतु तथा 11 वीं पंचवर्षीय योजना में शेष जिलों यथा नरसिंहपुर, बालाघाट, मण्डला, डिण्डौरी, कटनी, रीवा, सीधी (सिंगरौली सहित), सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, टीकमगढ़, पन्ना एवं छतरपुर में सभी अविद्युतीकृत ग्राम तथा 100 से अधिक आबादी वाले सभी विद्युतीकृत ग्रामों के अविद्युतीकृत क्षेत्रों/मजरों/टोलों/बसाहटों में सघन विद्युतीकरण हेतु तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को निःशुल्क बी0पी0एल0 कनेक्शन प्रदाय करने के कार्यों की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त हुई है । उक्त ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों के लिएं 509 अविद्युतीकृत ग्रामों के साथ–साथ 21885 विद्युतीकृत ग्रामों में सघन विद्युतीकरण के कार्यों हेतु 16526 कि.मी. 11 के0व्ही0 लाईन, 12262 कि0मी0 निम्नदाब लाईन तथा 22277 नग वितरण ट्रांसफार्मरों की स्वीकृति तथा 985068 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी श्रेणी के हितग्राहियों को कनेक्शन प्रदान करने के कार्य किये जा रहे हैं। योजना में विद्युतीकरण के कार्यो हेतु रूपये 969 करोड राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है ।

दिनांक 30.11.11 तक की स्थिति में से 185 अविद्युतीकृत ग्रामों सहित 8691 विद्युतीकृत ग्रामों में सघन विद्युतीकरण के कार्यों में 6000.122 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, 6387.991 कि.मी. निम्नदाब लाईन तथा 8497 नग वितरण ट्रांसफार्मरों के कार्य पूर्ण किये जा चुके है तथा तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी श्रेणी के 336910 हितग्राहियों को निःशुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान किये गये है, जिस पर लगभग रूपये 453.25 करोड का व्यय आया है । वर्तमान में शेष सभी कार्य प्रगति पर हैं

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 10वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गुना व अशोकनगर जिलें में तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत बैतूल, हरदा, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, एवं श्योपुर जिलें में कार्य किया जा रहा है।

योजना के अंतर्गत वर्ष 2010–11 तक 57 नं. 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रो की क्षमता वृद्धि, 3676 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, 1721 कि.मी. एल.टी. लाईन, 3145 नं. वितरण ट्रांसफार्मर एवं 67210 नं. बीपीएल संयोजन का कार्य पूर्ण कर 95 नं. अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 2008 नं. विद्युतीकृत ग्रामों का सघन विद्युतीकरण किया गया है, जिनकी कुल लागत राशि रूपये 205.78 करोड़ है।

वर्ष 2011–12 में अप्रैल माह से अक्टूबर माह तक 1147 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, 754 कि.मी. एल.टी. लाईन, 1018 नं. वितरण ट्रांसफार्मर एवं 39725 नं. बीपीएल संयोजन का कार्य पूर्ण कर 58 अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 568 विद्युतीकृत ग्रामों का सघन विद्युतीकरण किया गया है, जिनकी कुल लागत राशि रूपये 58. 96 करोड़ है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंर्तगत भोपाल, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, सीहोर, राजगढ़, ग्वालियर और भिण्ड में रूपये 379.14 करोड़ के कार्य कराने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर विद्युतीकरण के कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाने के प्रयास जारी हैं।

दसवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के इन्दौर व उज्जैन जिलों का कार्य जनवरी '2006 मे प्रारम्भ किया गया था, जो कि पूर्ण हो चुका हैं। इन दोनो जिलों में 1721 ग्रामों का सघन विद्युतीकरण किया गया तथा कुल 127070 ग्रामीण घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गए, जिसमें 50168 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के विद्युत कनेक्शन सम्मिलित है। इन कनेक्शनों को जारी करने के लिए कुल 1840.75 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, 2027 नग 11/0.4 के.व्ही. वितरण ट्रांसफार्मर तथा 891.97 कि.मी. निम्नदाब लाईनों का निर्माण किया गया है, जिसमें कुल स्वीकृत राशि रूपये 79.41 करोड़ के विरूद्ध 69.91 करोड़ रूपये का खर्च किया जा चुका हैं।

ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत धार, रतलाम व झाबुआ (अलीराजपुर सहित) जिलों में दिनांक 30 नवम्बर, 2011 तक कुल 14 अविद्युतीकृता ग्रामों का विद्युतीकरण, 2088 ग्रामों का सघन विद्युतीकरण किया गया है। इन ग्रामों में लगभग 103797 हितग्राहियों सहित 69606 गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गये है। नवंबर 2011 तक 2174 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, 2656 नग 11/0.4 के.व्ही.

वितरण ट्रांसफार्मर तथा 2947.10 कि.मी. निम्नदाब लाईनों का निर्माण किया गया हैं, जिसमें कुल योजना लागत राशि रूपये 225.08 करोड़ में से रुपये 96.29 करोड़ का व्यय किया गया हैं। अन्य 8 जिलों यथा बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, नीमच एवं शाजापुर की स्वीकृति दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 को प्राप्त हुई है, जिनके कार्य कराने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास है।

*****

अध्याय–3
प्रमुख विद्युत समंक 2010–11

प्रमुख विद्युत समंक के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरावर्ती कंपनियो की वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के परियोजनावार स्वीकृत परिव्यय व प्रावधिक व्यय की जानकारी राज्य में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के विद्युत गृहों से उत्पादित विद्युत के अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से उत्पादित बिजली में मध्य प्रदेश के अंश की जानकारी, विद्युत वितरण कंपनियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय/वृत्त /संभागवार वितरण केन्द्रों के साथ–साथ महत्वपूर्ण सांख्यिकी संलग्न प्रपत्रों में दर्शायी गई है।

प्रपत्र–1

म.प्र.राज्य विद्युत मंडल की वार्षिक योजना वर्ष 2010–11 के योजनावार स्वीकृत परिव्यय व व्यय (प्रावधिक)

(लाख रूपये में)

सं. क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2010–11		
		स्वीकृत परिव्यय	बजट प्रावधान	योजना व्यय (प्रावधिक)
1.	2.	3.	4.	5.
1	उत्पादन परियोजनाएँ			
अ.	निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ			
अ1	श्री सिंगाजी (मालवा) ताप विद्युत परियोजना (2गुणित 600 मेगावाट)	23804	24904	25096
अ2	सारणी ताप विद्युत परियोजना विस्तार (2 गुणित 250 मेगावाट)	3196	3696	4814
अ3	दादा धूनी वाले ताप विद्युत परियोजना (2 गुणित 800 मेगावाट)	0	2250	250
अ4	श्री सिंगाजी (मालवा) ताप विद्युत परियोजना फेस–2 (2 गुणित 660 मेगावाट)	0	20	0
ब	ताप विद्युत गृहों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण	940	465	407
स	सर्वेक्षण एवं अनुसंधान	160	160	32
	उप–योग उत्पादन (अ+ब + स)	28100	31495	30599
2	पारेषण	29500	27500	26191
3	उप–पारेषण एवं वितरण	77536	76405	73853
	योग (म.प्र.राज्य विद्युत मंडल की योजनायें)	135136	135400	130643
4	अन्य योजनायें			
	अ. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	3000	2900	3467
	ब. डी.एफ.आइ.डी.	2000	2000	1990
	कुल योग (म.प्र.राज्य विद्युत मंडल)	140136	140300	136100

टीप– उपरोक्त व्यय के अतिरिक्त वर्ष 2010–11 में अन्य वित्तीय संस्थाओं, यथा ऊर्जा वित्त निगम, हुडको, आर.ई.सी. इत्यादि के ऋण से कुल 2166.04 करोड़ रुपये का व्यय भी किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2010–11 में कुल 3527.04 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

प्रपत्र–2

म.प्र.राज्य विद्युत मंडल की वार्षिक योजना वर्ष 2011–12 के योजनावार स्वीकृत परिव्यय व व्यय (प्रावधिक)

(लाख रुपये में)

सं. क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2011–12		
		स्वीकृत परिव्यय	बजट प्रावधान	योजनाव्यय अक्टूबर 2011 तक (प्रावधिक)
1.	2.	3.	4.	5.
1	उत्पादन परियोजनाएँ			
अ.	निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ			
अ1	श्री सिंगाजी (मालवा) ताप विद्युत परियोजना (2 गुणित 600 मेगावाट)	26743	24243	3922
अ2	सारणी ताप विद्युत परियोजना विस्तार (2 गुणित 250 मेगावाट)	9500	8000	4877
अ3	दादा धूनी वाले ताप विद्युत परियोजना (2 गुणित 800 मेगावाट)	2000	2000	2000
अ4	श्री सिंगाजी (मालवा) ताप विद्युत परियोजना फेस–2 (2 गुणित 660 मेगावाट)	4000	4000	13
ब	बाणसागर ताप विद्युत परियोजना (2 गुणित 800 मेगावाट)	1500	1500	0
स	ताप विद्युत गृहों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण	200	200	128
	सर्वेक्षण एवं अनुसंधान	50	50	2
2	उप–योग उत्पादन (अ+ब+स)	43993	39993	13952
3	पारेषण	19300	19516	10010
	उप–पारेषण एवं वितरण			
4	उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण एवं उन्नयन	70500	70959	36126
5	फीडर विमक्तिकरण योजना	45600	45600	0
6	नवीन कृषि पंपों के कनेक्शन योजना	12000	10600	4471
	उप–योग उप–पारेषण एवं वितरण	128100	127159	40597
	योग (म.प्र.राज्य विद्युत मंडल की योजनायें)	191393	186668	64559
7	अन्य योजनायें			
	अ. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	2881	2881	1952
	ब. डी.एफ.आइ.डी.	64	1251	238
8	स. माईन्स एरिया वेलफेयर फंड	2700	0	0
	कुल योग (म.प्र.राज्य विद्युत मंडल) (I+II+III+IV)	197038	164400	39185

टीप– उपरोक्त व्यय के अतिरिक्त वर्ष '2011–12 में अन्य वित्तीय संस्थाओं, यथा ऊर्जा वित्त निगम, हुडको, आर.ई.सी. इत्यादि के ऋण से कुल 930.28 करोड़ रुपये का व्यय भी किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2011–12 में जुलाई 2011 तक कुल 1322.14 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

प्रपत्र–3

मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
मुख्यालय–जबलपुर
राज्य की उत्पादन क्षमता

ताप विद्युत एवं जल विद्युत क्षमता मेगावाट में				
ताप विद्युत गृह	स्थान	इकाई	क्षमता मेगावाट में	म.प्र का अंश क्षमता मेगावाट में
अमरकंटक ताप विद्युत गृह क 2	चचाई	2 X 120	240	240
अमरकंटक ताप विद्युत गृह क. 3		1 X 210	210	210
सतपुड़ा ताप विद्युत गृह क 1	सारनी	5 X 62.5	312.5	187.5
सतपुड़ा ताप विद्युत गृह क 2		1 X 200	200	200
		1 X 210	210	210
सतपुड़ा ताप विद्युत गृह क 3		2 X 210	420	420
संजय गांधी ताप विद्युत गृह क 1	बिरसिंहपुर	2 X 210	420	420
संजय गांधी ताप विद्युत गृह क 2		2 X 210	420	420
संजय गांधी ताप विद्युत गृह क 3		1 X 500	500	500
कुल ताप विद्युत			2932.5	2807.5
जल विद्युत गृह	स्थान	इकाई	क्षमता मेगावाट में	म.प्र अंश क्षमता मेगावाट में
गांधी सागर	गांधी सागर	5 X 23	115	57.5
पेंच	पेंच	2 X 80	160	107
बरगी	बरगी	2 X 45	90	90
टोंस	टोंस	3 X105	315	315
बाण सागर देवलोंद	देवलोंद	3 X 20	60	60
बाण सागर सिलपरा	सिलपरा	2 X 15	30	30
बाण सागर – 4	झिन्ना	2 X 10	20	20
मड़ीखेड़ा	शिवपुरी	3 X 20	60	60
बिरसिंहपुर	बिरसिंहपुर	1 X 20	20	20
राजघाट	राजघाट	3 X 15	45	22.5
कुल जल विद्युत			915	782
अन्य राज्यों में स्थित जल विद्युत गृह				
राणा प्रताप सागर			172	86
जवाहर सागर			99	49.5
कुल जल विद्युत				917.5

प्रपत्र – 4(अ)

पश्चिम क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. राज्य विद्युत मंडल का अंश (30.11. 2011 की स्थिति)
(सभी आंकड़े मेगावाट में)
सांयकालीन शीर्ष मांग के समय (समय 18.00 बजे एवं 22.00 बजे तक)

क्र.	विद्युत गृह	इकाई की संख्या क्षमता	विद्यमान स्थापित क्षमता	आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से बुंदेलखंड क्षेत्र को विशेष आवंटित अंश	कुल आवंटित अंश
1	कोरबा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित)	3 गुणित 200 + 3 गुणित 500	2100.00	400.00 (19.05 प्रतिशत)	32.58	52.63	485.21
2	कोरबा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित) स्टेज 3	1 गुणित 500	500.00	62.50 (12.50 प्रतिशत)	12.81	0.00	75.31
3	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन–I (मध्यप्रदेश में स्थित)	6 गुणित 210	1260.00	385.00 (30.56 प्रतिशत)	24.47	32.26	441.73
4.	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन– II (मध्यप्रदेश में स्थित)	2 गुणित 500	1000.00	273.00 (27.30 प्रतिशत)	19.75	25.47	318.22
5	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन– III (मध्यप्रदेश में स्थित)	2 गुणित 500	1000.00	200.00 (20.00 प्रतिशत)	21.24	25.47	246.70
6	सीपत सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित) – I	1 गुणित 660	660.00	94.33 (14.29 प्रतिशत)	16.91	00.00	111.24
7	सीपत सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित) – II	2 गुणित 500	1000.00	143.00 (14.30 प्रतिशत)	21.24	25.47	189.70
8	काकरापार आणविक पॉवर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	2 गुणित 220	440.00	93.00 (21.14 प्रतिशत)	6.34	11.21	110.55
9	तारापुर आणविक पॉवर स्टेशन (महाराष्ट्र में स्थित)	2 गुणित 540	1080.00	180.00 (16.67 प्रतिशत)	23.16	27.50	230.66
10	कवास गैस आधारित पॉवर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	4 गुणित 106 + 2 गुणित 116.1	656.20	140.00 (21.33 प्रतिशत)	0.00	0.00	140.00
11	गंधार गैस आधारित पॉवर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	3 गुणित 144.3 + 224.49	657.39	117.00 (17.80 प्रतिशत)	0.00	0.00	117.00
	कुल		10353.59	2087.83	178.49	200.00	2466.32

I. पूर्वी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. राज्य विद्युत मंडल का अंश

1	पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कहलगांव–II से आवंटित अंश में से म.प्र. राज्य विद्युत मंडल को आवंटित अंश	74 मे.वा.
	कुल	74 मे.वा.

II. केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. राज्य विद्युत मंडल का कुल अंश

1	पश्चिम क्षेत्र	2466.32 मे.वा.
2	पूर्वी क्षेत्र	74.00 मे.वा.
	कुल	2540.32 मे.वा.

प्रपत्र – 4(ब)

पश्चिम क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. राज्य विद्युत मंडल का अंश

(30 नवम्बर 2011 की स्थिति में)

(सभी आंकड़े मेगावाट में)

अन्य अवधी में (समय 00.00 से 18.00 बजे एवं 22:00 से 24:00 बजे तक)

क्र.	विद्युत गृह	इकाई की संख्या क्षमता	विद्यमान स्थापित क्षमता	आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से बुन्देलखंड क्षेत्र को विशेष आवंटित अंश	कुल आवंटित अंश
1	कोरबा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित)	3 गुणित 200 + 3 गुणित 500	2100.00	400.00 (19.05 प्रतिशत)	37.27	52.63	489.90
2	कोरबा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित) – स्टेज 3	1 गुणित 500	500.00	62.50 (12.50 प्रतिशत)	14.54	0.00	77.04
3	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन– I (मध्यप्रदेश में स्थित)	6 गुणित 210	1260.00	385.00 (30.56 प्रतिशत)	27.97	32.26	445.23
4	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन– II (मध्यप्रदेश में स्थित)	2 गुणित 500	1000.00	273.00 (27.30 प्रतिशत)	22.58	25.47	321.05
5	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन– III (मध्यप्रदेश में स्थित)	2 गुणित 500	1000.00	200.00 (20.00 प्रतिशत)	24.10	25.47	249.57
6	सीपत सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित) – I	1 गुणित 660	660.00	94.33 (14.29 प्रतिशत)	19.19	0.00	113.52
7	सीपत सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित) – II	2 गुणित 500	1000.00	143.00 (14.30 प्रतिशत)	24.10	25.47	192.57
8	काकरापार आणविक पॉवर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	2 गुणित 220	440.00	93.00 (21.14 प्रतिशत)	7.19	11.21	111.40
9	तारापुर आणविक पॉवर स्टेशन (महाराष्ट्र में स्थित)	2 गुणित 540	1080.00	180.00 (16.67 प्रतिशत)	26.28	27.50	233.78
10	कवास गैस आधारित पॉवर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	4 गुणित 106 + 2 गुणित 116.1	656.20	140.00 (21.33 प्रतिशत)	0.00	0.00	140,00
11	गंधार गैस आधारित पॉवर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	3 गुणित 144.3 + 224.49	657.39	117.00 (17.80 प्रतिशत)	0.00	0.00	117.00
	कुल		10353.59	2087.83	203.22	200.00	2491.05

I. पूर्वी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. राज्य विद्युत मंडल का अंश

1	पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कहलगांव–II से आवंटित अंश में से म.प्र.राज्य विद्युत मंडल को आवंटित अंश	74 मे.वा.
	कुल	74 मे.वा.

II. केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. राज्य विद्युत मंडल का कुल अंश

1	पश्चिम क्षेत्र	2491.05 मे.वा.
2	पूर्वी क्षेत्र	74.00 मे.वा.
	कुल	2565.05 मे.वा.

प्रपत्र–5

मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
मुख्यालय–जबलपुर

प्रपत्र–6

विद्युत वितरण कंपनियों से संबंधित समंक

(म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि., मुख्यालय जबलपुर/ म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि., मुख्यालय भोपाल/ म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि., मुख्यालय इन्दौर)

कमांक	मद	इकाई	2010–11
2.1	ई.एच.टी. लाइनें	सर्किट कि.मी.	26469
	योग		2343
	400 के.व्ही.		10857
	220 के.व्ही.		13208
	132 के.व्ही.		61
	66 के.व्ही.		
2.2	ई.एच.टी. उपकेन्द्र		
(i)	उपकेन्द्र	संख्या	241
	400 के.व्ही.		5
	220 के.व्ही.		53
	132 के.व्ही.		182
	66 के.व्ही.		1
	ट्रांसफार्मर		
(ii)	योग	संख्या	592
	400 के.व्ही.		19
	220 के.व्ही.		125
	132 के.व्ही.		444
	66 के.व्ही.		4
	क्षमता		
(iii)	योग	एम.व्ही.ए.	34232
	400 के.व्ही.		4515
	220 के.व्ही.		14350
	132 के.व्ही.		15347
	66 के.व्ही.		20
2.3	शंट केपेसिटर	एम.व्ही.ए.आर.	
	132 के.व्ही.		850
	33 के.व्ही.		2260
2.4	पारेषण हानि	प्रतिशत	3.74 %

क	मद	इकाई	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड मुख्यालय–जबलपुर	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड मुख्यालय–भोपाल	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड मुख्यालय–इन्दौर
1.1	क्षैत्रफल	वर्ग कि.मी.	135162	96069	77021
1.2	जनसंख्या(2001 की जनगणना के आधार पर)	हजार में	24518	18395	17472
1.3	प्रशासनिकइकाईयॉ (संपालन / संधारण)				
	क्षेत्र	संख्या	3	2	2
	वृत		15	14	14
	संभाग		51	49	52
	वितरण केन्द्र (शहर संभाग सहित)		381	339	391
1.4	औसत उपभोक्ता (प्रति वितरण केन्द्र)		8531	7581	8325
1.5	उच्च दाब लाइने	सर्किट कि.मी.	88954	75755	76222
	33 के.व्ही.		14685	11220	12961
	11 के.व्ही.		74269	64535	63261
1.6	निम्न दाब लाइने		107243	101658	137105
1.7	उच्च दाब ट्रांसफार्मर				
	संख्या	संख्या / एम.व्ही.ए.	1377	1256	1607
	क्षमता		5317	5299	6510
	उप केन्द्र		909	759	1017
1.8	निम्न दाब ट्रांसफार्मर	संख्या / एम.व्ही.ए.			
	संख्या		76708	94511	96035
	क्षमता		5179	7058	8616
	प्रति हजार सर्किट कि.मी		35.56	44.09	49.49
1.9	विद्युत उपयोग (एल.टी +एच.टी.)				
	उपभोक्ताओं की संख्या				
	ग्रामीण	मि.यू.	20.98	14.04	19.34
	नगरीय		11.52	11.66	13.21
	योग		32.50	25.70	32.55
1.10	एल. टी.				
	घरेलू	लाख में	25.47	19.84	23.79
	गैर घरेलू		2.24	2.05	2.75
	औद्योगिक		0.33	0.28	0.37
	जलकल		0.07	0.07	0.11
	कृषि		4.33	3.43	5.44
	सडक बत्ती		0.05	0.02	0.07
1.11	एच. टी.		0.01	0.01	0.02
	औद्योगिक		793	1229	1821
	जलकल		29	55	62
	कृषि		40	30	9
1.12	विद्युत उपभोग				
	ग्रामीण	मि.यू.	3118	3418	5122
	नगरीय		3858	4404	5436
	योग		6976	7822	10558
1.13	विद्युत उपभोग				
	क्षेत्रवार				
	ग्रामीण	मि.यू.	1486	2435	2649
	नगरीय		3349	3777	4115
	योग		4835	6212	6764
1.14	विद्युत उपभोग श्रेणीवार (योग)				
	एल.टी.				
	घरेलू		1633	1893	2094
	गैर घरेलू		400	478	556
	औद्योगिक		214	193	399
	जलकल		116	145	102
	कृषि		1540	2540	3665
	सड़क बत्ती		85	78	68

	एच.टी.				
	औद्योगिक	मि.यू.	2921	2415	3412
	जलकल		53	77	258
	कृषि		14	3	4
1.15	प्रति व्यक्ति विद्युत खपत	यूनिट	233	348	499
	संबद्ध भार –	मेगावाट	3322	4323	5040
	एल.टी.		2522	3580	4105
	एच.टी.		800	743	935
	क्षेत्रवार				
	ग्रामीण		1568	1856	2439
	नगरीय		1754	2467	2601
1.16	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम				
	विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	19243	6758	9909
	पंप जिनके लिए लाईन बिछाई गई	संख्या	358193	355114	544940
	पंप ऊर्जीकरण	संख्या	482946	342034	544940

प्रपत्र--7

म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल/उत्तरवर्ती कंपनियां
कंपनीवार क्षेत्रवार वितरण केन्द्रों की संख्या (नवम्बर, 2011 की स्थिति)
(1113 वितरण केन्द्र)

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर			382
I जबलपुर क्षेत्र	178	II सागर क्षेत्र	100
1. जबलपुर (शहर) वृत्त		1. सागर वृत्त	
जबलपुर (शहर) दक्षिण	5	सागर (शहर)	1
जबलपुर (शहर) उत्तर	3	सागर (संचा/संधा)	11
जबलपुर (शहर) पूर्व		रेहली	8
जबलपुर (शहर) पश्चिम		बीना	9
जबलपुर (शहर) विजयनगर		बण्डा	5
जबलपुर (शहर) वृत्त	8	सागर वृत्त	34
2.जबलपुर(सं./सं.) वृत्त		2. दमोह वृत्त	
जबलपुर (संचा/संधा.)	8	दमोह उत्तर	9
सिहोरा	5	दमोह दक्षिण	9
पाटन	7	दमोह वृत्त	18
जबलपुर (सं./सं.) वृत्त	20	3.छतरपुर वृत्त	
3. कटनी वृत्त		छतरपुर	13
कटनी (शहर)	4	पन्ना	9
कटनी (संचा/संधा.)	10	खजुराहो	11
कटनी वृत्त	14	छतरपुर वृत्त	33
4.मण्डला वृत्त		4. टीकमगढ़ वृत्त	
मण्डला	15	टीकमगढ़	10
डिंडौरी	7	पृथ्वीपुर	5
4.मण्डला वृत्त	22	टीकमगढ़ वृत्त	15
5. सिवनी वृत्त			
सिवनी	13	III रीवा क्षेत्र	104
लखनादौन	8	1 रीवा वृत्त	
बालाघाट	7	रीवा (शहर)	2
बैहर	3	रीवा (उत्तर)	8
वारासिंवनी	11	रीवा (दक्षिण)	7
सिवनी वृत्त	42	रीवा (संचा/संधा)	4
6. नरसिंहपुर वृत्त		रीवा वृत्त	21
नरसिंहपुर	13	2. सतना वृत्त	
गाड़रवारा	8	सतना (शहर)	5
नरसिंहपुर वृत्त	21	सतना (संचा/संधा)	12
7. छिंदवाड़ा वृत्त		मैहर	16
छिंदवाड़ा भाहर	2	सतना वृत्त	33
छिंदवाड़ा पूर्व	11	3. सीधी वृत्त	
जुन्नारदेव	6	सीधी	18
पाण्डुर्ना	8	बैढ़न (शहर)	2
अमरवाड़ा	9	बैढ़न (संचा/संधा)	5
सौसर	10	सीधी वृत्त	25
परासिया	5	4.शहडोल वृत्त	
छिंदवाड़ा वृत्त	51	शहडोल	7
		अनूपपुर	10
		उमरिया	8
		शहडोल वृत्त	25

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कपंनी लिमि.			336
I भोपाल क्षेत्र	180	II ग्वालियर क्षेत्र	156
1.भोपाल (सिटी) वृत्त		1. ग्वालियर (सिटी) वृत्त	
i भोपाल (सिटी पूर्व)	5	i ग्वालियर (सिटी उत्तर)	4
ii भोपाल (सिटी उत्तर)	7	ii ग्वालियर (सिटी दक्षिण)	3
iii भोपाल (सिटी दक्षिण)	6	iii ग्वालियर (सिटी पूर्व)	4
iv भोपाल (सिटी पश्चिम)	4	iv ग्वालियर (केन्द्रीय संभाग)	4
.भोपाल (सिटी) वृत्त	22	ग्वालियर (सिटी) वृत्त	15
2. भोपाल वृत्त		i मालनपुर (औद्योगिक क्षेत्र)	
i भोपाल (ओ.एण्ड एम.)	11	ii मालनपुर	1
ii मंडीदीप (औद्योगिक क्षेत्र)	1	औद्योगिक क्षेत्र	1
iii रायसेन	8	2. ग्वालियर वृत्त	
iv बरेली	6	i ग्वालियर (ओ.एंड एम.)	8
v नसरुल्लागंज	3	ii दतिया	12
vi औबेदुल्लागंज	6	iii डबरा	9
भोपाल वृत्त	35	ग्वालियर वृत्त	29
3.. विदिशा वृत्त		3. गुना वृत्त	
i विदिशा	6	i गुना (उत्तर)	10
ii गंजबासौदा	7	ii राघोगढ	8
विदिशा वृत्त	13	iii अशोकनगर	7
4. सीहोर वृत्त		iv मुंगावली	4
i सीहोर	14	गुना वृत्त	29
ii आष्टा	9	4. शिवपुरी वृत्त	
सीहोर वृत्त	23	i शिवपुरी – I	7
5. राजगढ़ (ब्यावरा) वृत्त		ii शिवपुरी – II	10
i राजगढ़	9	iii पिछोर	6
ii नरसिंहगढ़	8	शिवपुरी वृत्त	23
iii ब्यावरा	7	5. मुरैना वृत्त	
राजगढ़ (ब्यावरा) वृत्त	24	i मुरैना – I	10
6. होशंगाबाद वृत्त		ii मुरैना – II	6
i होशंगाबाद	7	iii सबलगढ़	9
ii इटारसी	6	iv अम्बाह	—
iii हरदा	10	मुरैना वृत्त	25
iv पिपरिया	11	6. भिण्ड वृत्त	
होशंगाबाद वृत्त	34	i भिण्ड	6
7. बैतूल वृत्त		ii मेहगांव	4
i बैतूल (उत्तर)	9	iii लहार	6
ii बैतूल (दक्षिण)	10	iv गोहद	4
iii मुलताई	10	भिण्ड वृत्त	20
7. बैतूल वृत्त	29	7.श्योपुर वृत्त	
		i श्योपुर (उत्तर)	10
		ii श्योपुर (दक्षिण)	4
		श्योपुर वृत्त	14

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कपंनी लिमि.			395
I इन्दौर क्षेत्र	206	II उज्जैन क्षेत्र	189
1. इन्दौर (सिटी) वृत्त		1. उज्जैन वृत्त	
i इन्दौर (सिटी पूर्व)	6	i उज्जैन (सिटी पूर्व)	1
ii इन्दौर (सिटी पश्चिम)	4	ii उज्जैन (सिटी पश्चिम)	1
iii इन्दौर (सिटी दक्षिण)	4	ii उज्जैन (ओ. एंड एम.)	7
iv इन्दौर (सिटी उत्तर)	5	iii नागदा	7
v इन्दौर (सिटी मध्य)	5	iv बड़नगर	9
1. इन्दौर (सिटी) वृत्त	24	v तराना	7
2. इन्दौर वृत्त		vi महिदपुर	4
i इन्दौर (ओ.एंड एम.)	11	उज्जैन वृत्त	36
ii महू	13	2. रतलाम वृत्त	
iii देपालपुर	8	i रतलाम (सिटी)	1
iv पीथमपुर	4	ii रतलाम (ओ.एंड एम.)	11
इन्दौर वृत्त	36	iii आलौट (जावरा पूर्व)	6
3. खण्डवा वृत्त		iv जावरा	9
i खण्डवा (सिटी)	1	रतलाम वृत्त	27
ii खण्डवा – I	5	3. मंदसौर वृत्त	
iii खण्डवा – II	10	i मंदसौर	11
खण्डवा वृत्त	16	ii मल्हारगढ़	9
4 बुरहानपुर वृत्त		iii गरौठ	12
I बुरहानपुर (सिटी)	1	iv सीतामऊ	8
ii बुरहानपुर (ओ.एंड एम.)	14	मंदसौर वृत्त	40
बुरहानपुर वृत्त	15	4. नीमच वृत्त	
5. खरगौन वृत्त		i नीमच	7
i खरगौन – I	10	ii जावद	9
ii खरगौन – II	8	iii मनासा	9
iii बड़वाह	10	5.नीमच वृत्त	
iv मण्डलेश्वर	15	i नीमच	7
खरगौन वृत्त	43	ii जावद	9
5. बड़वानी वृत्त		iii मनासा	9
i बड़वानी	9	नीमच वृत्त	25
ii सेंधवा	9	6. देवास वृत्त	
बड़वानी वृत्त	18	i देवास (सिटी)	1
6. धार वृत्त		ii देवास (ओ.एंड एम.)	8
i धार	15	iii सोनकच्छ	7
ii मनावर	6	iv कन्नौद	6
iii राजगढ	13	v बागली	8
धार वृत्त	34	देवास वृत्त	30
7. झाबुआ वृत्त		7. शाजापुर वृत्त	
i झाबुआ	13	i मोमन बड़ोदिया (शाजापुर–i)	3
ii अलीराजपुर	7	ii शाजापुर	8
झाबुआ वृत्त	20	iii आगर	9
		iv शुजालपुर	11
		शाजापुर वृत्त	31

प्रपत्र–8

फीडर विभक्तिकरण की जानकारी

राज्य में दिनांक 30 नवंबर, 2011 की स्थिति में फीडर विभक्तिकरण की कम्पनीवार, वृत्तवार अद्यतन स्थिति :–

क्र.	वृत्त का नाम	कुल 11 के.व्ही. फीडर		अब तक पूर्ण किए गए फीडर	
		संख्या	ग्राम	संख्या	ग्राम
1	भोपाल	196	1923	3	24
2	सीहोर	138	1442	7	73
3	होशंगाबाद	155	1019	2	20
4	विदिशा	93	1533	0	0
5	बैतूल	38	1343	3	43
6	राजगढ़	186	1677	0	0
7	ग्वालियर	110	1306	3	24
8	शिवपुरी	247	2078	2	10
9	गुना	176	1196	37	571
10	श्योपुर	40	527	2	20
11	भिण्ड	77	917	0	0
12	मुरैना	101	782	3	31
	कुल	**1557**	**15743**	**62**	**816**
1	जबलपुर (शहर)				
2	जबलपुर(संचा–संधा)	182	1315	26	164
3	कटनी	93	849	4	19
4	नरसिंहपुर	183	807	3	7
5	छिंदवाड़ा	148	1302	0	0
6	मण्डला	3	7	1	2
7	सिवनी	236	2085	24	289
8	रीवा	137	1920	7	25
9	सतना	159	1857	19	169
10	सीधी	97	1399	8	57
11	शहडोल	42	916	4	19
12	सागर	263	1567	35	261
13	दमोह	113	973	24	45
14	छतरपुर	121	1624	2	2
15	टीकमगढ़	114	914	0	0
	कुल	**1881**	**17535**	**157**	**1059**
1	इंदौर	212	625	17	
2	रतलाम	202	1053	16	43
3	धार	184	1337	44	145
4	बड़वानी	144	662	7	8
5	खरगोन	266	1156	8	32
6	खंडवा	135	705	8	15
7	बुरहानपुर	66	258	6	10
8	झाबुआ	100	1281	0	0
9	उज्जैन	168	541	53	178
10	देवास	52	627	5	8
11	शाजापुर	293	1068	0	0
12	मंदसौर	238	906	0	0
13	नीमच	131	674	0	0
	कुल	**2191**	**10893**	**164**	**484**

***

शाकेमुभो—616—असऊवि—9-2-12—650.

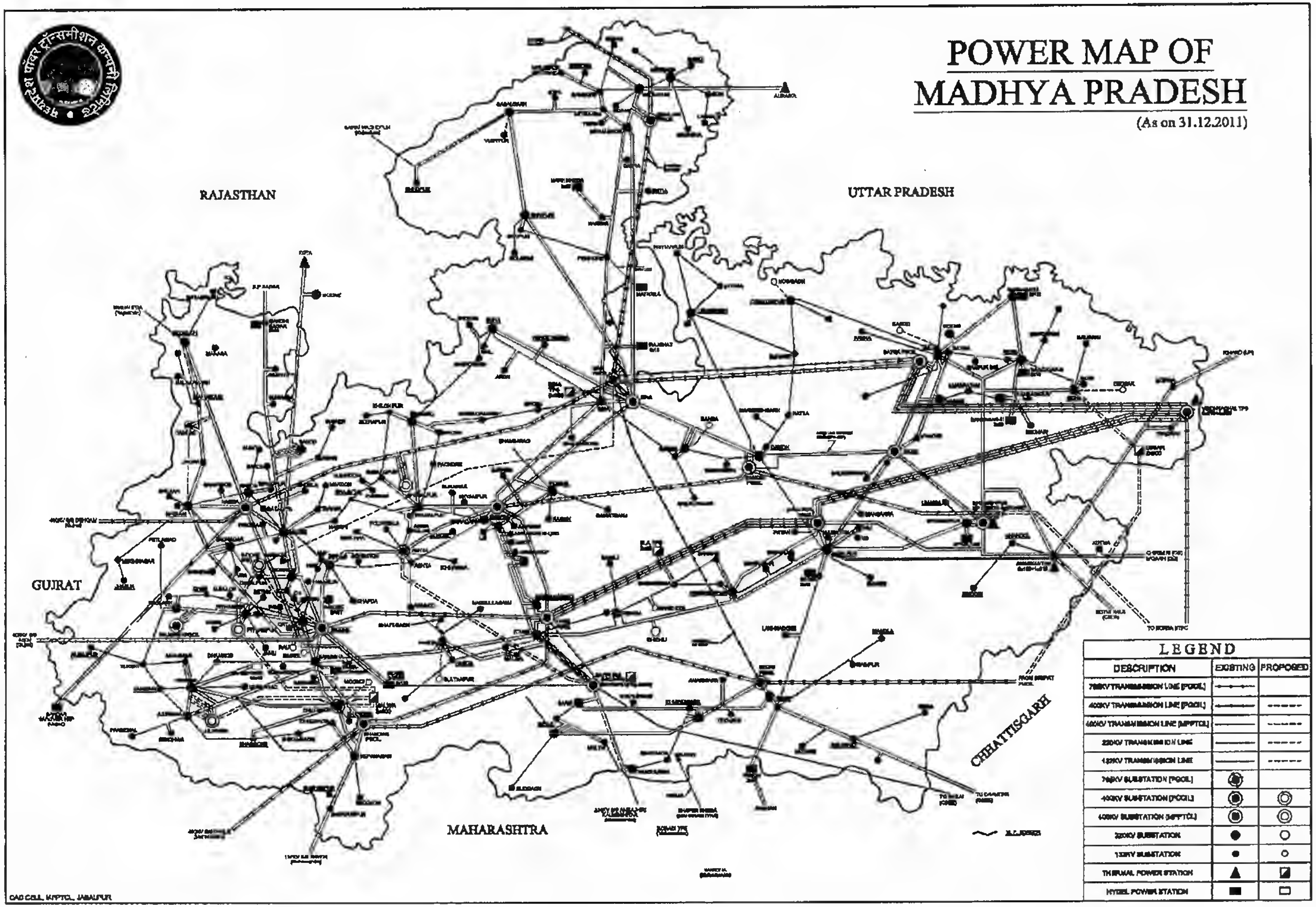
POWER MAP OF
MADHYA PRADESH
(As on 31.12.2011)
RAJASTHAN
UTTAR PRADESH
GUJRAT
MAHARASHTRA
CHHATTISGARH
LEGEND
DESCRIPTION
EXISTING
PROPOSED
CAD CELL, MPPTCL, JABALPUR